

आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में दिनांक 30.09.2023 को आयोजित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :-

1. श्री गोपाल मीणा, आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
2. श्री बरूण कुमार मिश्रा, संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।
3. श्री संजीव कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), मुजफ्फरपुर-सदस्य।

कार्यवाही:-

1. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा उपस्थित सदस्य एवं वी0 सी0 से जुड़े सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारीगण/आवेदकगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।
2. विगत बैठक दिनांक 30.08.2023 की कार्यवाही के अनुपालन का निदेश दिया गया।
3. सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को प्राधिकार द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किए गए कार्यों की सूचना ग्रहित की गयी एवं उसका अनुमोदन किया गया।
4. मोटरयान अधिनियम, 1988 के महत्वपूर्ण नियमों/प्रावधानों यथा- 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 89 एवं 96 आदि तथा उसके विषय की विस्तृत जानकारी सभी पदाधिकारियों एवं आवेदकों को दी गयी, ताकि परमिटधारी अपने परमिट का सही उपयोग कर सकें। दिनांक 24.02.2023 को प्राधिकार की बैठक में समय-अंतराल पर लिये गये निर्णय को यथावत रखते हुए निर्धारित समय अन्तराल वाले आवेदन को परमिट हेतु स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सितम्बर-2023 में बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु कुल 58 नये आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर विचार किया गया, जो कार्यावली संख्या-3(i)-परिशिष्ट-IV पर दर्ज है। इस नियम के आधार पर कुल प्राप्त आवेदन की स्थिति निम्न है:-

कुल आवेदन	स्वीकृत	संशोधित स्वीकृत	अस्वीकृत	आवेदन वापस	लंबित आवेदन
58	41	08	08	01	00

(कुल स्वीकृत 41 + 08 = 49)

अगस्त 2023 के बैठक में लंबित आवेदनों पर भी विचार किया गया।

प्राधिकार का निर्णय पृष्ठ संख्या 17 से 56 तक कुल 40 पन्नों में संलग्न है।

सभी सदस्यों द्वारा परमिट निर्गत करने से संबंधित परिपत्र एवं अधिसूचना आदि का अवलोकन किया गया, जो इस प्रकार है :-

क्रमांक	परिपत्र/अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	विषय
1	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018	वाहनों के अधिकतम गति सीमा के संबंध में।
2	परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 6281 दिनांक 02.09.2020	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यगण की नियुक्ति।
3	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का पत्रांक 1932 दिनांक 12.03.2021	राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का निर्देश।

*  

4	बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 615 दिनांक 29.10.1985	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
5	विशेष सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापक 11715 दिनांक 05.10.1991	राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परिचालन के संबंध में।
6	उप परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना का ज्ञापक 1932 दिनांक 12.03.2021	शपथ-पत्र एवं वांछित कागजात के संबंध में।
7	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 2372 दिनांक 11.04.2023	मार्ग संख्या-415, मुजफ्फरपुर से दरभंगा, भाया-बेनीबाद पर परमिट निर्गत करने का आदेश।
8	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक RT-11036/09/2023-MVL दिनांक 03.04.2023	वाहनों को Flagging / Blacklisting करने के संबंध में।
9	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने के संबंध में।
10	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना का पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023	सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय होने के संबंध में।

- 5 (i) बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित किया जाना :- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 4548 दिनांक 14.06.2023 द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम एवं पता सहित बस के ड्राइवर एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य किया गया है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के द्वारा आयोजित दिनांक 20.06.2023 एवं दिनांक 30.06.2023 की बैठक में सभी बस मालिकों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। साथ ही इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 16.07.2023 को प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित कर सभी बस मालिकों को निदेश दिया गया कि अपने बसों के दोनों तरफ (i) परमिटधारी का नाम एवं पता (ii) परमिट संख्या एवं वैधता (iii) मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल (iv) बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम एवं मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित करा लें, अन्यथा दिनांक 31.07.2023 के बाद बसों के दोनों तरफ उक्त विवरणी अंकित नहीं पाये जाने पर नियमानुसार प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा।

इस संबंध में सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करें एवं जाँच प्रतिवेदन भेजें।

- (ii) सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D स्थापित एवं सक्रिय होना:- सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के पत्रांक 5549 दिनांक 14.07.2023 द्वारा परमिट निर्गमन हेतु व्यवसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में समाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 16.07.2023 को प्रेस विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गयी, परन्तु अभी भी अधिकांश बस मालिकों द्वारा अपने बस में V.L.T.D. स्थापित नहीं कराया गया है।

अतएव सभी वाहन मालिकों को निदेश है कि सभी व्यावसायिक यात्री वाहनों में V.L.T.D. (Vehicle Location Tracking Device) स्थापित (Install) कराना सुनिश्चित करें। V.L.T.D. स्थापित होने एवं सक्रिय होने की स्थिति में ही परमिट निर्गत किये जायेंगे।

साथ ही पूर्व से परमिट से आवृत वाहनों में V.L.T.D. स्थापित कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा V.L.T.D. स्थापित एवं सक्रिय नहीं पाये जाने पर परमिट निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा।

* / /

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को पुनः निदेश दिया गया कि प्रतिदिन कम से कम 20 बसों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करें एवं कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

(iii) वाहन की आयु के अनुसार प्रतिदिन दूरी/गति सीमा :-

सरकारी नियम के अनुसार बस की आयु के आधार पर प्रतिदिन परिचालन निम्न प्रकार किया जाना है :-

क्र० सं०	बस की आयु (वर्ष में)	प्रतिदिन अधिकतम परिचालन (कि०मी० में)
1	0-5	असीमित
2	5-10	600
3	10-15	400
4	15 से ऊपर	100

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि उक्त नियम का पालन करते हुए अपने वाहनों का परिचालन सुनिश्चित करेंगे। जिस वाहन की आयु परमिट की वैधता की तिथि के पूर्व ही 15 वर्ष हो जायेगी, उसके वाहन स्वामी 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पहले उच्च मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन अनिवार्य रूप से करा लेंगे। 15 वर्ष पूरा होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा। उक्त अवधि के बाद परिचालन पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(iv) गति सीमा का पालन :- सभी आवेदक/वाहन स्वामी से अनुरोध है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 के अनुसार गति सीमा एवं इस प्राधिकार द्वारा तैयार की गई शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) में सभी सूचनाएँ अंकित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा कि आवेदित वाहन के समय-सारणी में कहीं भी गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगने वाला समय का स्पष्ट उल्लेख हो। इससे आपत्तिकर्ता को भी सही जानकारी होगी एवं तथ्यात्मक शिकायत कर पायेंगे। विहित प्रपत्र इस कार्यवाही के कडिका-8(i)(1) में अंकित है। विहित प्रपत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं रहने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

यदि गति सीमा के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो प्रमादी वाहन के परमिट को रद्द कर दिया जाएगा एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गति सीमा उल्लंघन के कारण इस कार्यवाही के क्रम संख्या 34, 35, 39, 44, 48 का आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है।

(v) Overlapping of Route:- मार्ग भिन्नता से संबंधित मामले प्रकाश में आ रहे हैं। एक मार्ग पर परमिट हेतु आवेदन प्राप्त होता है। दुसरे मार्ग पर परमिट धारक आपत्ति दर्ज कराकर परमिट का विरोध करते हैं। इस संबंध में स्पष्ट है कि जब एक मार्ग दुसरे मार्ग से भिन्न हो तथा 40 प्रतिशत तक एक-दुसरे को अच्छादित करता हो तो दोनों मार्ग को भिन्न मानते हुए परमिट निर्गत किया जाएगा तथा जब एक मार्ग दुसरे मार्ग को 40 प्रतिशत से अधिक अच्छादित करता हो तो उन दोनों मार्गों को भिन्न नहीं मानते हुए उस पर परमिट निर्गत नहीं किया जाएगा। यह निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया जाता है।

(vi) उपलब्ध टाईम स्लॉट, पहले आओ-पहले पाओ :- जिन वाहन स्वामी के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, उन इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वे पुनः विहित प्रक्रिया अपना कर आवेदन कर सकते हैं।

  

प्राधिकार की अगली बैठक में "पहले आओ-पहले पाओ" के नियम के आधार पर आवेदन की तिथि/समय के क्रमानुसार विचार किया जाएगा।

6. आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा आर0टी0ए0 में सुगमता, पारदर्शिता एवं परमिटधारियों की सुविधा हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं जिसकी जानकारी विस्तार से दी जा रही है:-

- (i) परमिट हेतु निर्णय सिर्फ ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाता है। ऑफलाईन कागजात सिर्फ कार्यालय अभिलेख के लिए है। ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन में विसंगति पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द कर दिया जायेगा।
- (ii) पूर्ण आवेदन देने हेतु सभी जानकारी आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट (www.tirhutdivision.nic.in) पर प्रकाशित किया जाता है, ताकि आवेदक को सभी आवश्यक सूचना एक ही जगह पर सुगम तरीके से प्राप्त हो सके, यथा-मार्गवार सभी बसों की समय-सारणी इत्यादि।
- (iii) आवेदन स्वीकृति के पश्चात निर्गत परमिट आवेदक के पता पर निबंधित डाक द्वारा भेजी जाती है। साथ ही निबंधित डाक पावती को परमिट के कार्यालय प्रति पर रख कर उसे Scan किया जाता है तथा उस परमिट की प्रति को आयुक्त कार्यालय के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाता है, ताकि परमिट प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदक अपने निर्गत परमिट की Status की जानकारी प्राप्त कर सके। पता गलत होने पर निबंधित डाक वापस आ जाने की स्थिति में आवेदक पर 1000=00 रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। जुर्माना जमा करने पर ही पुनः निबंधित डाक से परमिट संशोधित पता पर भेजा जाता है।
अतएव सभी आवेदकों से अनुरोध है कि निबंधन पुस्तिका/ Owner book में अपना पता अद्यतन करा लें।
- (iv) समय-समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर भी परमिटधारी/वाहन स्वामियों को प्राधिकार के निर्णय से अवगत कराया जाता है।

क्र० सं०	विषय	कार्यालय पत्रांक एवं दिनांक	समाचार पत्र	प्रकाशन कि तिथि
1	वाहन के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर जुर्माना के संबंध में।	पत्रांक-282, दिनांक-15.04.2023	हिन्दुस्तान	19.04.2023
2	जुर्माना जमा करने के संबंध में।	पत्रांक-415, दिनांक-31.05.2023	प्रभात खबर एवं हिन्दुस्तान	03.06.2023
3	जुर्माना नहीं जमा करने पर परमिट के निलंबन के संबंध में।	पत्रांक-717, दिनांक-28.06.2023	हिन्दुस्तान	29.06.2023
4	बसों के दोनों तरफ परमिट विवरणी अंकित करने एवं V.L.T.D स्थापित करने के संबंध में।	पत्रांक 834 दिनांक 15.07.2023	दैनिक जागरण	16.07.2023

- (v) V.L.T.D. रिपोर्ट एवं Toll Plaza से रिपोर्ट प्राप्त कर वाहन के परिचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है।
- (vi) आवेदन एवं एजेन्डा पर दावा/आपत्ति प्राप्त कर एवं उस पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है।
- (vii) गंभीर आपत्ति के मामले में व्यक्तिगत सुनवाई कर मामले का निस्तारण किया जाता है।
- (viii) शिकायत हेतु E-mail/ whatsapp नम्बर :- यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत हो तो E-mail id-rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in या टेलीफोन नं० 06212212103 पर सम्पर्क कर अपनी शिकायत कर सकते

/ / /

हैं। उनके नाम को गोपनीय रखते हुए शिकायत की जाँच करायी जाएगी। शिकायत सही होने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी वाहन स्वामी को कोई कार्य हो तथा कोई अभिलेख जमा करना अथवा प्राप्त करना हो तो कार्यालय के काउण्टर नम्बर 01 से सम्पर्क कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। यदि उन्हें कार्यालय आना पड़े तो प्राथमिकता के आधार पर पहले संयुक्त, आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से मिल कर अपने कार्यों का निष्पादन करा सकते हैं। उनसे संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर से मिलकर कार्य का निष्पादन कराया जा सकता है। फिर भी संतुष्ट नहीं होने पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी कार्यों के निष्पादन के संबंध में बात कर सकते हैं।

- (ix) बैठक में हंगामा करने वाले पर कड़ी कार्रवाई :- सभी आवेदकों एवं आपत्तिकर्ताओं को सख्त हिदायत है कि वे बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, आपस में झगड़ा या हंगामा नहीं करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। यदि कोई बात V.C. के माध्यम से बैठक में नहीं रख पाते हैं तो अगले कार्य दिवस को अपराह्न 01:00 बजे तक सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं।

7. सामान्य निदेश:-

- (i) इस प्राधिकार से निर्गत परमिट को पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर कराना :- उन सभी बसों को जिनके परमिट पटना/सारण/दरभंगा प्राधिकार के क्षेत्राधिकार से गुजरते हैं, उन्हें एक सप्ताह में वहाँ प्रतिहस्ताक्षर कराने हेतु आवेदन देना होगा एवं उसका साक्ष्य इस कार्यालय में समर्पित करेंगे। परमिट निर्गत करने की तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर कराकर उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है।

(अनुपालन: आर०टी०ए० सचिव/सभी परमिटधारी)

- (ii) अन्य प्राधिकार से निर्गत परमिट को प्रतिहस्ताक्षर कराना :- जिन बसों का परमिट दूसरे प्राधिकार से निर्गत है, परन्तु बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन हो रहा है तो जैसे बसों के स्वामियों से अनुरोध है कि बिना प्रतिहस्ताक्षर के इस प्राधिकार में बसों का परिचालन न करें, अन्यथा पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जैसे बसों को अभियान चलाकर पकड़ने तथा उस पर नियमानुसार जुर्माना लगाने का निदेश सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डल अन्तर्गत को दिया गया। यदि प्रतिहस्ताक्षर रहित बस के स्वामी द्वारा तथ्य छुपाकर परमिट हेतु आवेदन किया गया, तो जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित बस जिस बोर्ड समूह/बैनर के अधीन परिचालित हो रही है, उस बोर्ड समूह के किसी भी आवेदन/आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं करने का निर्णय सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा लिया गया है। कुछ वाहन स्वामियों द्वारा दूसरे प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर इस प्राधिकार में अपनी वाहन का परिचालन कर रहे हैं, लेकिन प्रतिहस्ताक्षर हेतु इस प्राधिकार में परमिट एवं समय-सारणी के साथ प्रकाशन के लिए आवेदन नहीं कर रहे हैं। बिना प्रतिहस्ताक्षर इस प्राधिकार में वाहन का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। जैसे वाहनों के स्वामी इस प्राधिकार से प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऑनलाईन आवेदन समर्पित करेंगे।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलान्तर्गत को निदेश है कि ऐसे वाहनों की जाँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अगली बैठक से पूर्व की गयी कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन: सभी डी०टी०ओ० तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत/आर०टी०ए० सचिव/सभी परमिटधारी)

✱

- (iii) सशर्त परमिट स्वीकृति के मामलों में शर्त का अनुपालन/जुर्माना राशि अदा करना :- सर्वसम्मति से प्राधिकार द्वारा जिन आवेदनकर्ताओं का आवेदन सशर्त स्वीकृत किया गया, उनसे अद्यतन मान्य कागजात, अधिभार की राशि, प्रक्रिया शुल्क एवं यदि जुर्माना किया गया हो तो जुर्माना की राशि चालान से 10 दिनों के अन्दर जमा करा कर तदनुसार परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यदि 15.10.2023 तक वे अपना परमिट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके आवेदन को निष्पादित (dispose off) करते हुए उक्त टाइम स्लॉट को किसी अन्य आवेदक के वाहन को नियमानुसार आवंटित किया जाएगा।

सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि आवेदन की तिथि से कम से कम अगले 3 (तीन) माह तक वाहन का सभी मान्य कागजात यथा टैक्स, फिटनेस, बीमा एवं प्रदुषण अद्यतन रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि परमिट को उनके घर भेजने में कठिनाई नहीं हो।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सभी परमिटधारी)

- (iv) कार्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजात की जाँच करना :- परमिट निर्गत करने से पूर्व वाहन के सभी मान्य कागजात यथा प्रदुषण प्रमाण-पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, टैक्स, लंबित जुर्माना, पूर्व का मूल परमिट (पूर्व से निर्गत परमिट पर आवेदन हो तो) एवं प्रकाशित समय-सारणी तथा ऑनलाईन आवेदित समय-सारणी इत्यादि की जाँच संबंधित सहायक एवं प्रधान सहायक द्वारा की जाएगी। तत्पश्चात परमिट निर्गत किया जाएगा।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सहायक/प्रधान सहायक)

- (v) परमिट सिर्फ यात्री परिवहन हेतु :- प्रायः ऐसा देखा जाता है कि वाहन स्वामियों द्वारा परमिट स्टेज कैरेज के नाम पर प्राप्त किया जाता है परन्तु उसका परिचालन स्कूल बस के रूप में कराया जाता है। टाईम स्लॉट घेर कर रखने से अन्य वाहन परमिट प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। बस में व्यवसायिक उपयोग हेतु सामान ढोना/छत पर सामान रखना प्रतिबंधित है। इस तरह के मामले पर आयुक्त-सह-अध्यक्ष द्वारा सभी डी0टी0ओ0 को जाँच कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन: सभी डी0टी0ओ0 तिरहुत, प्रमण्डलान्तर्गत/सभी परमिटधारी)

- (vi) आपत्तिकर्ता का दायित्व :- आपत्तिकर्ता द्वारा अपने जिस वाहन से दूसरे वाहन के परमिट हेतु प्राप्त आवेदन पर आपत्ति दिया जाता है, उस वाहन का भी सभी मान्य कागजात यथा- टैक्स, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदुषण प्रमाण-पत्र आदि अद्यतन होना अनिवार्य है, तभी उनके आपत्ति आवेदन पर विचार किया जाएगा। यदि स्वयं के कागजात अद्यतन नहीं रहने पर आपत्तिकर्ता पर देय जुर्माना के अतिरिक्त 10000=00 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। इससे आपत्तिकर्ता आपत्ति से पहले अपने स्वयं के वाहनों के कागजात नियमसंगत है या नहीं, का सत्यापन कर ही आपत्ति देने के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही आपत्ति के लिए विहित प्रपत्र में सभी विवरणी अंकित कर निर्धारित समय सीमा में कार्यालय के ई-मेल rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर करें, ताकि कार्यालय को कार्यावली तैयार करने में सुगमता होगी।

कतिपय आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपने वाहन पर जुर्माना लंबित होने एवं कागजात अद्यतन नहीं रहने के बावजूद आवेदक के वाहन पर आपत्ति दर्ज किया गया है। ऐसे आपत्तिकर्ता स्वयं डिफॉल्टर हैं। अपने वाहन पर अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करते हैं और दूसरे वाहन पर आपत्ति करते हैं। अपने वाहन का कागजात अद्यतन एवं जुर्माना की राशि जमा किये बिना वाहन का परिचालन कर सरकार की राजस्व को क्षति पहुँचा रहे हैं। ऐसे सभी आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति को सर्वसम्मति से अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया एवं आवेदन को बिना ट्रिप कटाव के स्वीकृत किया गया।

  

जिन आपत्तिकर्ताओं के वाहन पर कागजात अद्यतन नहीं होने के कारण जुर्माना अधिरोपित किया गया है, वे दस दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि जमा कर कार्यालय को सूचना देंगे अन्यथा भविष्य में उनके आपत्ति या परमिट आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(अनुपालन: आर0टी0ए0 सचिव/सहायक/प्रधान सहायक)

8. नये आवेदन :-

- (i) परमिट हेतु आवश्यक कागजात :- सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि परमिट हेतु निर्णय ऑनलाईन आवेदन एवं उसके साथ संलग्न कागजात के आधार पर लिया जाएगा परन्तु किसी प्रकार की त्रुटि न हो एवं कार्यालय अभिलेख के लिए निम्नलिखित कागजातों की पठनीय एवं स्वअभिप्रमाणित प्रति कार्यालय में काउण्टर संख्या-01 पर जमा कराना या ई-मेल rtamuztirhut.bih@bihar.gov.in पर भेजना आवश्यक है।
- (a) निबंधन-पुस्त की छायाप्रति।
 (b) टैक्स की छायाप्रति।
 (c) दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 (d) बीमा की छायाप्रति।
 (e) प्रदुषण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
 (f) वाहन के अन्दर, बाहर एवं चारों तरफ का वाहन स्वामी के साथ रंगीन फोटोग्राफ मोटरयान निरीक्षक से सत्यापन के पश्चात आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। इससे वाहन के अन्दर बैटॉन क्षमता, ए0सी0/नॉन ए0सी0, उस बस पर अंकित समूह/बैनर, बस संख्या एवं बसों के दोनों तरफ अंकित परमिट की विवरणी आदि का पता चल सके। कतिपय आवेदकों द्वारा आपत्ति किया गया कि सॉफ्टवेयर में एक ही फोटो अपलोड करने का विकल्प है। उल्लेखनीय है कि चार-पाँच फोटो एक साथ scan कर एक pdf/image file के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
 (g) परमिट आवेदन पर मार्ग संख्या अंकित करते हुए यह भी उल्लेख करेंगे कि वाहन स्लीपर है या सीटर है।
 (h) विहित प्रपत्र में शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1)।
 (i) VLTD स्थापित एवं सक्रिय होने संबंधी विवरणी।
 (j) मार्ग का वैध नक्शा।
 (k) वाहन स्वामी का नाम एवं पूर्ण पता (पिन कोड सहित) लिखित लिफाफा 22 रुपये डाक टिकट के साथ, ताकि सही पते पर परमिट भेजा जा सके।
 (l) समय-सारणी (विहित प्रपत्र में) -दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में लगे समय का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। दूरी एवं संगत समय का गलत उल्लेख करने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

प्रपत्र

वाहन संख्या-..... रूट संख्या-..... (.....से.....तक) वाया-.....

पड़ाव स्थल	वाहन के आगमन का समय	वाहन के प्रस्थान का समय	दो क्रमागत बस पड़ावों के बीच की दूरी	उक्त दूरी को तय करने में लगने वाला समय

- (ii) अपूर्ण आवेदन :-कई आवेदक परमिट हेतु आवेदन करते समय भूल कर देते हैं, जैसे वाहन की संख्या लिखने में, तो कुछ का समय-सारणी में दो क्रमागत बस पड़ाव के बीच की दूरी एवं उसे तय करने में

लगने वाले समय लिखने में या वाहन के चारों तरफ का फोटो संलग्न करने में, VLTD ऑनलाइन नहीं कराने में। ऐसे मामले में प्राधिकार द्वारा आवेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया, परन्तु आवेदकों द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया कि पूर्व की भाँति जुर्माना लगाकर एवं भूल सुधार कर परमिट निर्गत किया जाये, भविष्य में त्रुटिपूर्ण आवेदन नहीं देंगे।

आवेदकगणों के अनुरोध पर प्राधिकार द्वारा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि त्रुटिपूर्ण आवेदन में अंकित त्रुटि के सुधार हेतु आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र (अनुलग्नक-2) में शपथ-पत्र एवं जुर्माना की राशि जमा किया जाता है एवं त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनके समय-सारणी का टकराव किसी अन्य वाहन के समय-सारणी से नहीं होता है तो इस शर्त के साथ परमिट निर्गत किया जाएगा। यह वैकल्पिक है। आवेदक चाहे तो इस विकल्प को नहीं मानकर पुनः नियमानुसार पूर्ण आवेदन दे सकते हैं।

प्राधिकार द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। पिछली बैठकों में अपूर्ण आवेदनों की समस्या पर विस्तार से जानकारी एवं जुर्माना लगाया गया था, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदकगण जानबूझकर अथवा आवेदन देते हैं। अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन से समय सारणी की सही जानकारी प्रतिद्वंदी आवेदकों/पूर्व से परमिटधारी को नहीं हो पाने से उचित आपत्ति देने एवं कार्यालय द्वारा भी सही तथ्यों की जानकारी नहीं रहने पर गलती होने की संभावना रहती है। ऐसे त्रुटिपूर्ण आवेदनों को पूर्ण मात्र ऑफलाईन माध्यम से ही कराया जा सकता है। इस प्रकार इसे अच्छी प्रथा नहीं कहा जा सकता है। पुनः कार्यालय को नये सिरे से जाँच-पड़ताल कर परमिट देना पड़ता है, इसलिए जुर्माना लगाये जाने का निर्णय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा लोकहीत एवं पारदर्शिता हेतु लिया गया है। यह सिर्फ विकल्प है, यदि आवेदकगण जुर्माना नहीं देना चाहते हैं तो वे पुनः नियमानुसार विहित प्रक्रियानुसार शुल्क जमा कर उपलब्ध रिक्त Time slot में आवेदन कर सकते हैं। जो जुर्माना जमा करने का विकल्प चुनते हैं, वे जुर्माना की राशि Tax Receipt शीर्ष R0041001010017-00-03 में जमा कराकर कार्यालय में सूचना देने के पश्चात् ही त्रुटि सुधार कर नियमानुसार उचित होने पर परमिट निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार कार्यवाही के क्रमांक संख्या 1, 4, 6, 8, 9 आदि पर त्रुटिपूर्ण आवेदन प्राप्त था, जिसमें सशर्त स्वीकृति दी गयी है।

- (iii) गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर कार्रवाई:- सभी बस मालिकों से अनुरोध है कि आवेदन या आपत्ति करते समय वैध कागजात एवं सही तथ्य ही प्रस्तुत करें। गलत तथ्य पाये जाने पर जुर्माना एवं फर्जीवाड़ा की शिकायत सही पाये जाने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धाराओं के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

आवेदिका श्रीमती वरिका सिंह पति-श्री चन्दन कुमार सिंह द्वारा माह अगस्त 2023 के बैठक में वाहन सं० BR44P3243, BR03PA0702, BR03PA9309 एवं BR24P3760 का जाली बीमा समर्पित कर परमिट प्राप्त करने का प्रयास किया गया, जिसकी जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से करायी गयी। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका पर विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया, परन्तु आवेदिका द्वारा जुर्माना लगाकर छोड़ देने का अनुरोध किया गया। आयुक्त-सह-अध्यक्ष जैसे वरीय पदाधिकारी को गुमराह कर Fabricated/ Forged Insurance कागजात के आधार पर परमिट प्राप्त करने का कुत्सित प्रयास किया गया। क्योंकि प्रथम गलती था इसलिए सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए आवेदिका के अनुरोध के आलोक में प्राधिकार द्वारा कुल 3 लाख रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। आवेदिका द्वारा इस बैठक में कुल 05 आवेदन समर्पित किया गया है। आवेदिका द्वारा दो लाख रुपये जमा कर दिया गया है। शेष एक लाख की जुर्माना राशि जमा करने एवं शपथ पत्र देने के शर्त पर आवेदिका के सभी आवेदनों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- (iv) आरंभ एवं गंतव्य स्थल तक परिचालन:- आपत्तिकर्ता श्री अविनाश कुमार अपने वाहन सं० BR31PA6458 का परमिट सं० 430/2019 परसा बाजार से मोतिहारी का प्राप्त किये है, परन्तु परिचालन पटना से

/

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडलान्तर्गत को निदेश दिया गया कि सभी बस मालिकों से परमिट पर अंकित शर्तों का पालन सुनिश्चित करायेंगे एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्राधिकार को सूचित करेंगे।

अन्त में स-धन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

अपर समाहर्ता, ~~प्रमुख-सह-सदस्य~~
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 1259 /

मुजफ्फरपुर, दिनांक 05/10/2023 /

- प्रतिलिपि :- सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, तिरहुत प्रमंडल/सभी मोटरयान निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, तिरहुत प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा/छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी, तिरहुत प्रमण्डलांतर्गत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि:- राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
 प्रतिलिपि:- सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

देशीय पाठ्यक्रम प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के कार्यालय

दिनांक-30.09.2023 की कार्यवाही।

म

४

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर की बैठक दिनांक-30.09.2023 की कार्यावली।

पृष्ठ सं०

कार्यावली सं०-(1)	1	गत बैठक दिनांक 30.08.2023 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन	परिशिष्ट-I	12	
कार्यावली सं०-(2)		प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची।		13	
	(I)	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट -- (01 से 28 दिन) तक।	परिशिष्ट-II	13	
	(II)	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन) तक।		13	
	(III)	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)		13	
	(IV)	जनता मालवाहक का स्थायी परमिट (05 वर्षों के लिए)		13	
	(V)	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (एक वर्ष)।		13	
	(VI)	प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाड़ी के नवीकरण एवं स्थायी प्रतिस्थापन किये गये परमिटों की सूची।		14 से	15 तक
	(VII)	अध्यक्षीय आदेश के आलोक में बैठक में सम्पुष्टि की प्रत्याशा में नामंतरित एवं रद्द किये गये परमिटों की सूची।	परिशिष्ट-III	16	
कार्यावली सं०-(3)	(i)	बसों के स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट-IV	17 से	52 तक
	(ii)	एजेन्ट अनुज्ञप्ति पर विचार।	परिशिष्ट-V	53	
	(iii)	अन्य प्राधिकार से परमिट प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार।	परिशिष्ट-VI	54	

/

A

कार्यावली सं०-(1) परिशिष्ट-I गत बैठक दिनांक 30.08.2023 की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन ।		
क्रमांक	कार्यवाही	अनुपालन
1	कार्यवाही (3) बसों की स्थायी परमिट निर्गत करने हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय।	अनुपालन किया जा रहा है।

<p style="text-align: center;">कार्यावली संख्या-2(I-V) परिशिष्ट-II</p> <p style="text-align: center;">प्राधिकार की बैठक के प्रत्याशा में संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मुजफ्फरपुर द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत किये गये कार्यों की सूची:-दिनांक 28.08.2023 से 26.09.2023 तक।</p>	
1	बस का अस्थायी (विशेष) परमिट (01 से 28 दिन)-अस्थायी (विशेष) परमिट संख्या- BR2023-SPL-5844A तक।
2	दूसरे राज्यों हेतु अस्थायी परमिट (01 से 28 दिन)- अस्थायी परमिट संख्या - शून्य।
3	ऑटो रिक्शा/जीप टैक्सी स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
4	जनता मालवाहक हल्का वाहन/मध्यम वाहन एवं भारी वाहन का स्थायी परमिट (05 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।
5	नेशनल परमिट का स्थायी परमिट (01 वर्ष)- स्थायी परमिट संख्या- शून्य।

* 7 12

कार्यावली संख्या-2 (VI) परिशिष्ट-II					
प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन स्थायी सवारी गाडी के नवीकरण किये गये परमिटों की सूची।					
क्र०सं०	वाहन स्वामी का नाम/पता	वाहन संख्या /निबंधन की तिथि	परमिट संख्या	नवीकृत परमिट की वैधता	अभियुक्ति
1	श्रीमती जानकी शुक्ला, पति-स्व० अवधेश कुमार शुक्ला, पता-नया टोला, स्पीकर चौक, मुजफ्फरपुर।	BR06PD-9009 21-08-2017	0387/2013	13-09-2028	स्वीकृत।
2	श्रीमती परमेश्वरी देवी, पति- स्व० मोहन प्रसाद अग्रवाल, पता-वार्ड संख्या 14, मोहनपुर रोड, काशीपुर, पो०+थाना+जिला-समस्तीपुर।	BR33J-8914 17-01-2013	0166/2013	11-06-2028	स्वीकृत।
3	श्रीमती पूनम देवी, पति-मनोज कुमार यादव, ग्राम+पो०-बी०बी०गंज, जगदम्बा स्थान, थाना-सदर, भगवानपुर, मुजफ्फरपुर।	BR06PB-9721 05-02-2013	0402/2013	29-09-2028	स्वीकृत।
4	श्री उदय शंकर प्रसाद सिंह, पिता-धर्मदेव सिंह, पता-एच०एन० 83, ग्राम-मझौली धर्मदास, पो०-शेरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PB-8943 06-07-2013	0370/2013	06-09-2028	स्वीकृत।
5	श्री विजय कुमार झा, पिता-स्व० चन्द्रिका झा, पता-पिपुल्स को-ऑपरेटिव कॉलोनी, डी-92, कंकड़बाग, पटना।	BR01PC-7307 18-02-2011	00357/2013	06-08-2028	स्वीकृत।
6	श्री चन्द्रहास, पिता-नवल किशोर सिंह, पता-अखाड़ाघाट रोड, अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06P-4358 29-01-2008	340/2013	17-07-2028	स्वीकृत।
7	श्री राज कुमार सिंह, पिता-स्व० सुरज नारायण सिंह, पता-शेखपुर, अखाड़ाघाट, थाना-अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PB-6336 27-02-2013	000368/2013	06-09-2028	स्वीकृत।
8	श्री विश्वजीत मिश्रा, पिता-रंजीत कुमार मिश्रा, पता-वार्ड नं० 10, रसुलपुर जिलानी, चक्कर रोड, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR06PF-0039 09-08-2023	BR/106/SC/309/2008	13-08-2028	स्वीकृत।

प्राधिकार की बैठक में प्रत्यायोजित शक्ति के अधीन परमिट से आवृत वाहनों के प्रतिस्थापन की सूची।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम/पता	परमिट संख्या	परमिट पर आवृत वाहन संख्या	प्रतिस्थापित वाहन संख्या	अभियुक्ति
1	श्री उदय शंकर पसाद सिंह, पिता-धर्मदेव प्रसाद सिंह, नियर-दुर्गा मंदिर, शेरपुर, मझौली, धर्मदास उर्फ नारायणपुर अनंत, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR/106/SC/626/2009	BR06PF-8643	BR06P-8943	स्वीकृत।
2	श्री रजनीश शाही, पिता-हर्ष नारायण शाही, पता-बास्मिकीनगर, टंकी बाजार, वार्ड नं० 3, भैंसालोटन, जिला-पश्चिम चम्पारण।	043/2019	BR22PA-5945	BR06PC-4345	स्वीकृत।
3	श्रीमती अल्पना चौधरी, पे०-प्रेम कुमार चौधरी, बढई टोला, माड़ीपुर, काजी मोहम्मदपुर, जिला-मुजफ्फरपुर।	0121/2009	BR06PD-4065	BR06P-5011	स्वीकृत।
4	श्री विश्वजीत मिश्रा, पिता-रंजीत कुमार मिश्रा, पता-वार्ड नम्बर 10, पता-रसुलपुर जिलानी, चक्कर रोड, जिला-मुजफ्फरपुर।	BR/106/SC/309/2008	BR06PF-0039	BR06P-6300	स्वीकृत।

* 7 0

कार्यावली संख्या-2(VII) परिशिष्ट-III				
परमिट नामान्तरित किये गये परमिटों की सूची:-				
क्रम सं०	परमिटधारी का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	अभ्युक्ति
1	नामान्तरित किये गये परमिट की संख्या-शुन्य।			

अध्यक्षीय आदेश के आलोक में रद्द किये गये परमिटों की सूची-				
क्रम सं०	परमिटधारी का नाम	परमिट संख्या	परमिट की वैधता	अभ्युक्ति
1	रद्द किये गये परमिटों की संख्या-शुन्य।			

✓ ✓ ✓

कार्यावली संख्या-3(i) -- परिशिष्ट-IV

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
1	श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, पिता-जनार्दन पाण्डेय, पता-सोनवल, तेजपुरवा, पाण्डेय टोला, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी० आर० ०६ पी.सी.-3707	10.10.2014 मॉडल-2014	मार्ग संख्या-- 2218 मंगलपुर से सिवान भाया-बेतिया, अरेशज, खजूरिया, महम्मदपुर, गोपालगंज। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। मंगलपुर प्र०-04.15 सिवान प्र०-10.33	टेक्स-- 09.10.2023 फिटनेश-- 01.03.2024 इन्श्युरेंस-- 22.12.2023 प्रदुषण-- 04.07.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त।		VLTD ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।		10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर बी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने के शर्त पर स्वीकृत।
2	श्री धीरेन्द्र कुमार, पति-स्व० राजमंगल सिंह, पता-चन्दौली, बेलसण्ड, जिला-सीतामढ़ी।	बी० आर० 24पी.-5912	05.11.2013 मॉडल-2013	मार्ग संख्या-2344- बेलसण्ड से सीतामढ़ी, भाया-परसौनी। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। बेलसण्ड प्र०-07.55, 09.55, 13.31, 16.10 सीतामढ़ी प्र०-09.01, 12.22, 14.45, 17.10	टेक्स-- 04.10.2023 फिटनेश-- 07.03.2024 इन्श्युरेंस-- 20.02.2024 प्रदुषण-- 11.10.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति अप्राप्त।				स्वीकृत।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
3	श्रीमती वर्तिका सिंह, पति-चन्दन कुमार सिंह, पता-मेन रोड रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आर० 44 पी०-0949	06.01.2010 मॉडल-2009	मार्ग संख्या-2656 - रक्सौल से बेतिया, भाया-रामगढ़वा, सुगौली, छपवा। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना रक्सौल प्र०-06.39, 11.47, 18.09 बेतिया प्र०-10.16, 12.53, 20.25	टैक्स- 30.09.2023 फिटनेश- 18.08.2024 इन्श्युरेंस- 03.09.2024 प्रदुषण- 09.02.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री अजय कुमार परमिट सं०-..... आवृत वाहन सं०-बी०आर० 06पी०एफ०-3436 मार्ग-रक्सौल से बेतिया। (1) आवेदिका द्वारा पिछली बैठक में उक्त वाहन का जाली बीमा के साथ आवेदन किया गया था, भेरे द्वारा आपत्ति देने पर आवेदन वापस ले लिया। फिर उसी वाहन पर आवेदन किया गया है। (2) आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.08.2023 के बैठक में क्र०सं० 26 पर आदेश है कि क्र०सं० 23,24,25 एवं 27 जाली बीमा होने के कारण जाँच होने तक लम्बित रखा जाय। (3) ज्ञापांक 567,568,569,570,571,617, एवं 618 सभी वाहन महदमवापुरी बोर्ड पर परिचालित होती है। वाहन सं० बी.आर.06पी 6986 मो० खालिस पर फरवरी 2022 के बाद से टैक्स बकाया है, साथ ही फिटनेश बीमा भी फेल है। (4) प्राधिकार का आदेश है कि कोई भी बोर्ड पर सरकारी टैक्स बकाया होगा, उस आवेदन पर विचार नहीं होगा।	बी०आर० 06पी०एफ०-3436 टैक्स- 28.09.2023 फिटनेश-15.04.2024 इन्श्युरेंस-30.03.2024 प्रदुषण- 07.05.2024	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० 03पी.ए-9309 परमिट सं०-बी.आर. 2023-एस.सी.-0700ए. वैधता 02.03.2028 का बेतिया में समय 12:55 है। समय अंतराल 02 मिनट है, जबकि 05 मिनट होना चाहिए। परमिट निर्गत नहीं है।	बी०आर० 03 पी.ए.-9309 टैक्स- 22.02.2023 फिटनेश-11.04.2024 इन्श्युरेंस- 16.08.2024 प्रदुषण- 17.11.2023	स्वीकृत।

✱ ↙ ↘

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैद्यता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
4	श्रीमती वर्तिका सिंह, पति-चन्दन कुमार सिंह, पता-मैन रोड रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आर ०३ पी.ए. -०७०२	18.03.2015 मॉडल-2015	मार्ग संख्या-2856 - बेतिया से रक्सौल, भाया-छपवा, सुगौली, रामगढ़वा। प्रतिदिन पाँच खेप जाना आना। बेतिया प्र०-०४.59, ०८.०५, १०.५१, १३.४४, १७.०४ रक्सौल प्र०-०६.१५, ०९.४७, १२.०४, १५.४४, १८.०४	टेक्स- 10.12.2023 फिटनेश- 07.03.2024 इन्श्युरेंस- 16.08.2024 प्रदुषण- 08.09.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री अजय कुमार, परमिट सं०-..... आवृत वाहन सं०-बी०आर० ०६पी०एफ०-३४३६ मार्ग-रक्सौल से बेतिया। (1) आवेदिका द्वारा पिछली बैठक में उक्त वाहन का जाली बीमा के साथ आवेदन किया गया था, मेरे द्वारा आपत्ति देने पर आवेदन वापस ले लिया। फिर उसी वाहन पर आवेदन किया गया है। (2) आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.08.2023 के बैठक में क्र०सं० 26 पर आदेश है कि क्र०सं० 23,24,25 एवं 27 जाली बीमा होने के कारण जाँच होने तक लम्बित रखा जाय। (3) ज्ञापांक 567,568,569,570,571,617, एवं 618 सभी वाहन महदमवापुरी बोर्ड पर परिचालित होता है। वाहन सं० बी.आर.०६पी ६९८६ मो० खालिस पर फरवरी 2022 के बाद से टैक्स बकाया है, साथ ही फिटनेश बीमा भी फेल है, फिर भी पूर्व के परमिट पर बस का परिचालन होता है। (4) प्राधिकार का आदेश है कि कोई भी बोर्ड पर सरकारी कर बकाया है उस बोर्ड के कोई वाहन का आदेश पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया जाँच पूरा कर आवेदन रद्द करने का कृपा करें।	बी०आर० ०६पी०एफ०-३४३६ टेक्स- 28.09.2023 फिटनेश-15.04.2024 इन्श्युरेंस-३०.०३.२०२४ प्रदुषण- ०७.०५.२०२४	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० ४४पी.-1537 परमिट सं०-बी.आर. 2023-एस.सी.-०६९९ए. वैद्यता 02.03.2028 का बेतिया में समय 13:44 है। समय समान है। परमिट निर्गत नहीं है। आपत्ति-2 वी. एल. टी. डी. ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।	बी०आर० ४४ पी.-1537 टेक्स- 27.09.2023 फिटनेश-०३.०८.२०२४ इन्श्युरेंस- ०२.०८.२०२४ प्रदुषण- 22.12.2023	10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने के शर्त पर स्वीकृत।





क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
5	श्रीमती वरुिका सिंह, पति-चन्दन कुमार सिंह, पता-मेन रोड रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आर० 24पी.-3760	19.11.2011 मॉडल-2011	मार्ग संख्या-2656 - रक्सौल से बेतिया, भाया-रामगढ़वा, सुगौली, छपवा। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना रक्सौल प्र०-06.46, 12.49, 17.43 बेतिया प्र०-10.44, 14.06, 19.31	टेक्स- 18.11.2023 फिटनेश- 26.07.2024 इन्श्युरेंस- 16.08.2024 प्रदुषण- 22.12.2023	साथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री अजय कुमार परमिट सं०-.... आवृत वाहन सं०-बी०आर० 06पी०एफ०-3436 मार्ग-रक्सौल से बेतिया। (1) आवेदिका द्वारा पिछली बैठक में उक्त वाहन का जाली बीमा के साथ आवेदन किया गया था, मेरे द्वारा आपत्ति देने पर आवेदन वापस ले लिया। फिर उसी वाहन पर आवेदन किया गया है। (2) आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.08.2023 के बैठक में क्र०सं० 28 पर आदेश है कि क्र०सं० 23,24,25 एवं 27 जाली बीमा होने के कारण जाँच होने तक लम्बित रखा जाय। (3) ज्ञापक 567,568,569,570,571,617, एवं 618 सभी वाहन महदमवापुशी बोर्ड पर परिचालित होती है। वाहन सं० बी.आर.06पी 6986 मो० खालिस पर फरवरी 2022 के बाद से टेक्स बकाया है, साथ ही फिटनेश बीमा भी फेल है, फिर भी पूर्व के परमिट पर बस का परिचालन होता है। (4) प्राधिकार का आदेश है कि कोई भी बोर्ड पर सरकारी कर बकाया है उस बोर्ड के कोई वाहन का आदेश पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया जाँच पूरा कर आवेदन रद्द करने का कृपा करें।	बी०आर० 06पी०एफ०-3436 टेक्स- 28.09.2023 फिटनेश-15.04.2024 इन्श्युरेंस-30.03.2024 प्रदुषण- 07.05.2024	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० 22पी.-1969 परमिट सं०-524/2019 वैधता 22.09.2024 का रक्सौल में समय 17:45 है। समय अंतराल 02 मिनट है, जबकि 05 मिनट होना चाहिए।	बी०आर० 22 पी.-1969 टेक्स- 08.07.2023 फिटनेश- 09.06.2023 इन्श्युरेंस- 11.08.2022 प्रदुषण- 09.06.2023	वाहन सं०-बी०आर० 22पी.-1969 परमिट सं०-524/2019 का सभी कागजात फेल होने के कारण बिना कटाव के स्वीकृत। जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन सं०-बी०आर० 22पी.-1969 की जाँच कर ब्लैकलिस्टेड करें।

* / 8

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
6	श्रीमती बतिका सिंह, पति-चन्दन कुमार सिंह, पता-मेन रोड रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आर० ०३पी. ए. -9309	23.03.2015 मॉडल-2015	मार्ग संख्या-2656 - रक्सौल से बेतिया, भाया-रामगढ़वा, सुगौली, छपवा। प्रतिदिन पाँच खेप जाना आना रक्सौल प्र०-05.45, 08.31, 11.37, 14.26, 17.00 बेतिया प्र०-06.59, 09.57, 12.41, 15.57, 18.45	टेक्स- 22.02.2023 फिटनेश- 11.04.2024 इन्श्युरेंस- 16.08.2024 प्रदुषण- 17.11.2023	साथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री पम्मी सिंह वारसे प्रिंस कुमार परमिट सं०..... आवृत वाहन सं०-बी०आर० ०६पी०ए०-1837 मार्ग-रक्सौल से बेतिया। (1) आवेदिका द्वारा पिछली बैठक में क्रमांक सं० 23,24,25 एवं 27 में जाली बीमा देने पर जाँच का आदेश दिया गया जो कि लम्बित है। रोम वाहन से दूसरा आवेदन किया गया है। (2) कार्यवाही दिनांक 30.08.2023 के क्रमांक सं० 26 पर आयुक्त महोदय द्वारा जाँच होने तक लम्बित रखने का आदेश है। क्रमांक 26 की छायाप्रति संलग्न है। (3) महदेवा बैनर पर चलने वाले वाहन का जाँच लम्बित रहते हुए फिर दुबारा जापांक 567,568,569 570,571,817, एवं 818 आवेदित किया गया है। जाँच होने तक महादेवापुरी के सभी आवेदन को निरस्त किया जाये। (4) महादेवापुरी बैनर पर परिचालित होने वाले वाहन बी.आर. ०६पी. 6986 पर सरकारी राजस्व बकाया है उक्त वाहन को अध्यक्ष महोदय द्वारा पूर्व में फाईन भी किया गया था, इसके वावजूद भी शमन की राशि जमा नहीं किया गया है। कार्यालय द्वारा किये गये शमन की एवं एम. परिवहन का डाटा आपत्ति के साथ संलग्न है। किसी भी बैनर पर शमन की राशि या जाँच लम्बित होने पर आयुक्त महोदय द्वारा कार्यवाही में आदेश है कि उनके किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।	बी०आर० ०६पी०ए०-1837 टेक्स- 19.09.2023 फिटनेश-01.11.2023 इन्श्युरेंस- 02.08.2024 प्रदुषण- 07.02.2024	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० ०६पी.ई.-2991 परमिट सं०-246/2019 वैधता 08.08.2024 का रक्सौल में समय 11:40 है। समय अंतराल 03 मिनट है, जबकि 05 मिनट होना चाहिए। आपत्ति-2 वी. एल. टी. डी. ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।	बी०आर० ०६ पी.ई.-2991 टेक्स- 21.11.2023 फिटनेश-29.05.2023 इन्श्युरेंस- 21.09.2024 प्रदुषण- 26.09.2023	10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने के शर्त पर वाहन सं०-बी०आर० ०६पी.ई.-2991 परमिट सं०-246/2019 का फिटनेश एवं पॉलूशन फेल होने के कारण बिना कटाव के स्वीकृत।

*

/

/

/

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
7	श्रीमती वरुणा सिंह, पति-चन्दन कुमार सिंह, पता-मेन रोड रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आर० 44पी.-3243	02.05.2015 मॉडल-2015	मार्ग संख्या-2656 - रक्सौल से बेतिया, भाया-रामगढ़वा, सुगौली, छपवा। प्रतिदिन पाँच खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-05.00, 07.54, 10.54, 14.55, 17.34 बेतिया प्र०-06.49, 09.43, 12.05, 16.29, 19.04	टेक्स- 03.12.2023 फिटनेश- 26.10.2023 इन्श्युरेंस- 16.08.2024 प्रदुषण- 12.09.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री पम्मी सिंह वारते पिंस कुमार परमिट सं०-..... आवृत वाहन सं०-बी०आर० 05पी०ए०-1837 मार्ग-रक्सौल से बेतिया। (1) आवेदिका द्वारा दुबारा आवेदन किया गया है। पिछली आवेदन में उक्त वाहन का बीमा जाली होने पर मेरे द्वारा आपत्ति देने पर आवेदन वापस ले लिया। फिर से सेम वाहन से आवेदन दिया गया है। (2) आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.08.2023 के बैठक में क्र०सं० 26 पर आदेश है कि क्र०सं० 23,24,25 एवं 27 जाली बीमा होने के कारण जाँच होने तक लम्बित रखा जाय। (3) ज्ञापांक 567,568,569,570,571,617, एवं 618 सभी वाहन महदमवापुरी बैनर पर परिचालित होता है। (4) वाहन सं० बी.आर. 06पी. 6996 पर सरकारी राजस्व जैसे टेक्स, फिटनेश, बीमा सभी का बकाया है। एम. परिवहन के डाटा का छायाप्रति संलग्न है। (5) उपरोक्त सभी वाहन या ज्ञापांक सं० वाले आवेदन महदमवापुरी बैनर का है। क्रमांक 26 दिनांक 30.08.2023 के कार्यवाही के निर्णय की छायाप्रति संलग्न है।	बी०आर० 05पी०ए०-1837 टेक्स- 19.09.2023 फिटनेश-01.11.2023 इन्श्युरेंस- 02.08.2024 प्रदुषण- 07.02.2024	आपत्ति-1. कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० 05पी.-9601 परमिट सं०-बी.आर. 2022-एस.सी.-2406ए. वैधता 10.11.2027 का बेतिया में समय 06:49 एवं 09:43 है। दोनों समय समान है। परमिट निर्गत नहीं है।	बी०आर० 05 पी.-9601 टेक्स- 02.11.2023 फिटनेश-14.03.2024 इन्श्युरेंस- 13.01.2024 प्रदुषण- 16.12.2023	स्वीकृत।

*

7

8

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
8	श्री रजनीश शाही, पिता-हर्य नारायण शाही, पता-बाल्मीकिनगर, जिला- पश्चिमी चम्पारण।	बी0आर 06पी. सी.-4345	27.11.2014 मॉडल-2014	मार्ग संख्या-4804 बलुआ चौक से बाल्मीकिनगर भाया- मोतिहारी बस स्टैण्ड, छपवा, बेतिया, लौरिया, परसौनी, चौतरवा, बगहा बाजार, बगहा स्टेशन, बाल्मीकिनगर रोड स्टेशन, नौरगिया, भेरिहारी। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। बलुआ चौक प्र0-06.29 बाल्मीकिनगर प्र0-13.27	टेक्स- 19.11.2023 फिटनेश- 22.06.2024 इन्श्योरेंस- 18.03.2024 प्रदुषण- 03.09.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पयर है। आपत्ति अप्राप्त। आपत्ति-1 श्री सुभाष चन्द्र तिवारी वाहन सं0 बी.आर. 31क्यू-5625 का कहना है कि लौरिया से परसौनी के बीच की दूरी 13 किमी है, जबकि 8 किमी दर्शाया गया है। वाहन सं0 बी.आर 45पी.- 1437 परमिट सं0 बी. आर- 2023-एस. सी.-1458 ए. का बगहा स्टेशन से समय 15:26 है। समय समान है।		1. आवेदित वाहन पर DIO वैशाली का 1000 रुपये जुर्माना लंबित है। 2. लौरिया से परसौनी के बीच की दूरी 13 कि० मी० है, जिसे 27 मिनट में तय कर रहे हैं। गति सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है। 3. बी आर 45 पी 1437 का बगहा स्टेशन में समय 15:26 है, समय समान है। 4. आपत्तिकर्ता श्री सुभाष चन्द्र तिवारी द्वारा आपत्ति शुल्क जमा नहीं किया गया है। 5. आपत्तिकर्ता श्री सुभाष चन्द्र तिवारी पर कुल 9000 रुपये जुर्माना लंबित है।		लंबित जुर्माना एवं अतिरिक्त जुर्माना तथा लौरिया से परसौनी के बीच गलत दूरी अंकित करने के कारण 10000 रुपये जुर्माना (कुल 20000 रुपये) जमा करने की शर्त पर स्वीकृत।

*

/

/

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
9	श्री आदित्य कुमार, पिता-हृदय नारायण श्रीवास्तव, पता-वार्ड नं० 34, चन्डीस्थान बगहा, जिला- पश्चिमी बिहार।	बी०आर 22पी.ए. --5845	18.07.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-3814- बगहा स्टेशन से बेतिया, भाया-बगहा बाजार, चौतरवा, परसौनी, लौरिया। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। बगहा स्टेशन प्र०-02.48, 06.41, 10.18, 16.47 बेतिया प्र०-04.42, 08.28, 14.41, 20.42	टेक्स- 14.10.2023 फिटनेस- 17.07.2025 इन्श्युरेंस- 17.07.2024 प्रदुषण- 17.07.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1-आपत्तिकर्ता-सुभाष चन्द्र तिवारी परमिट सं०-995/2019 आवृत वाहन सं०-बी०आर० 22पी०ए०-5625 मार्ग-समपुर से बेतिया। (1) वाहन सं० बी.आर.22पी.ए. 5845 का मार्ग सं० 3814 बगहा स्टेशन से बेतिया पर किया गया है उसमें वाहन स्वामी द्वारा गलत दूरी बताया गया है जबकि बगहा बाजार से चौतरवा की दूरी 18 किमी है और परसौनी से लौरिया की दूरी 13 किमी है जिसका प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता का कार्यालय पत्रांक 273 दिनांक 20.03.2002 के द्वारा जारी पत्र जो जिला परिवहन पदाधिकारी के नाम से जारी है जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि क्रमांक 09 पर बेतिया से लौरिया की दूरी 26 किमी पुनः क्रमांक 11 पर बेतिया से परसौनी की दूरी 39 किमी तो लौरिया से परसौनी की दूरी 13 किमी है जबकि आवेदक द्वारा बगहा स्टेशन से बेतिया जाने में परसौनी से लौरिया की दूरी 08 किमी तथा बेतिया से बगहा स्टेशन आने में लौरिया से परसौनी की दूरी 08 किमी बताया गया है जो कि गलत है, इसी प्रकार बगहा बाजार से चौतरवा की दूरी 18 किमी है, जबकि वाहन स्वामी द्वारा बगहा बाजार से चौतरवा की दूरी 20 किमी दिखाया गया है। जो वाहन सं० बी.आर.22पी.ए. 5845 के प्रत्येक खेप जाने तथा आने में अंकित है जो स्पष्ट देखा जा सकता है। उक्त विषय पर कम दूरी बताकर गतिसीमा का उल्लंघन करने पर उचित निर्णय लेने की कृपा करें।	बी०आर० 22पी०ए०-5625 टेक्स- 26.09.2023 फिटनेस-13.07.2025 इन्श्युरेंस- 05.04.2024 प्रदुषण- 30.11.2023	बगहा बाजार से चौतरवा एवं परसौनी से लौरिया की दूरी गलत अंकित है। परसौनी से लौरिया के बीच की दूरी 13 किमी है। जबकि आवेदक द्वारा 08 किमी अंकित किया गया है। 13 किमी की दूरी 10 मिनट में तय कर रहे हैं। गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है।		अस्वीकृत।

*

7

10

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
10	श्री जितेन्द्र कुमार, पिता-स्व० सोनालाल प्रसाद, पता-कोईरिया टोला, मेन रोड, सोना टॉकिज, रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आर ०६पी. एफ.-7660	29.07.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या- 4783 रक्सौल से मोतिहारी, भाया-रामगढवा, सुगौली, छपवा। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-04.45, 07.28, 12.14, 16.39 मोतिहारी, प्र०-05.50, 10.30, 13.22, 18.24	टैक्स- 27.10.2023 फिटनेश- 28.07.2025 इन्श्युरेंस- 27.07.2024 प्रदुषण- 28.07.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति अप्राप्त।		मुगल मैप का नक्शा दिया गया है।		मार्ग का वैध नक्शा नहीं देने के कारण 5000 रुपये जुर्माना के साथ स्वीकृत।
11	श्री मनोज कुमार यादव, पिता-स्व० चन्देश्वर राय, पता-भगवानपुर, सदर, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी०आर ०६पी.ई. -2851	15.05.2019 मॉडल-2017	मार्ग संख्या-3794 - पटना से बेतिया भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकोली घाट, फकुली, रादयालुनगर, मुजफ्फरपुर, रौशनपानापुर, काँटी, महना बाजार, मोतिपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपराकोठी, मोतिहारी। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-20.49 बेतिया प्र०-11.49	टैक्स- 16.12.2023 फिटनेश- 23.06.2025 इन्श्युरेंस- 02.03.2024 प्रदुषण- 20.11.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री अविनाश कुमार, परमिट सं०-430/2019 आवृत वाहन सं०-बी०आर० 31पी०ए०-6458 मार्ग- परसा बाजार से मोतिहारी। आवेदक मोतिहारी प्र०-13:52 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-13:52 सेम समय। मोतिहारी प्रारंभ बिन्दु पर दो मिनट का समय अंतराल होना चाहिए जबकि आवेदक ने जानबूझकर प्रारंभ बिन्दु पर सेम समय पर आवेदन किए है। जो कि सरासर गलत है।	बी०आर० 31पी०ए०-6458 टैक्स- 11.10.2023 फिटनेश-11.07.2025 इन्श्युरेंस- 02.06.2024 प्रदुषण- 04.01.2024	आवेदक का कहना है कि आपत्तिकर्ता अपने वाहन का परमिट परसा बाजार से मोतिहारी का प्राप्त किये है, परंतु पटना से मोतिहारी तक ही परिचालन करते है। इसकी जाँच वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट से करायी जा सकती है। आपत्तिकर्ता के वाहन के वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट के अनुसार वाहन का परिचालन परसा बाजार से न होकर पटना से हो रहा है।		आपत्तिकर्ता द्वारा परमिट के शर्तों का उल्लंघन करने के कारण बिना बाइपास के आवेदन स्वीकृत।

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
12	श्री जितेन्द्र कुमार, पिता-स्व० सोनालाल प्रसाद, पता-कोईरिया टोला, मेन रोड, सोना टॉकिज, रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आर० ०६पी. एफ.-7661	29.07.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या- 4783 मोतिहारी से रक्सौल, भाया-छपवा, सुगौली, रामगढ़वा। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मोतिहारी प्र०-05.10, 08.05, 12.00, 16.09 रक्सौल प्र०-08.59, 10.04, 13.44, 17.54	टेक्स- 27.10.2023 फिटनेस-28.07.2025 इन्श्युरेंस-27.07.2024 प्रदुषण- 28.07.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1-आपत्तिकर्ता-श्रीमती संगीता कुमारी परमिट सं०-2023-एस.सी.-2521ए. आवृत वाहन सं०-बी०आर००६पी.एफ.-०३१४ मार्ग- सिवान से रक्सौल। आवेदक रक्सौल प्र०-13:44 आपत्तिकर्ता रक्सौल प्र०-13:47 अंतराल ०३ मिनट। रक्सौल बिन्दु दोनों वाहन के प्रस्थान का प्रथम बिन्दु है। प्राधिकार के नियमानुसार प्रथम बिन्दु पर ०५ मिनट का अन्तराल होना जरूरी है।	बी०आर० ०६पी.एफ. -०३१४ टेक्स- 27.11.2023 फिटनेस-०१.१२.२०२४ इन्श्युरेंस- 28.11.2023 प्रदुषण- 15.01.2024	1. गुगल मैप का नक्शा दिया गया है। 2. सिवान से रक्सौल दुरी- 98 कि०मी० मोतिहारी से रक्सौल 44 कि०मी० कॉमन रूट 44 प्रतिशत है।		मार्ग का वैध नक्शा नहीं देने के कारण 5000 रुपये जुर्माना जमा करने के शर्त पर तृतीय ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।
13	श्री शशिरंजन कुमार, पिता-युगेश्वर प्रसाद, पता-कोलहाचक, भेडगाँवा, पुनपुन, जिला-पटना।	बी०आर० ०१ पी. के.-9351	26.01.2020 मॉडल-2019	मार्ग संख्या-3794 - पटना से बेतिया भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जातकौली घाट, फकुली, रादयालुनगर, मुजफ्फरपुर, रौशनपानापुर, काँटी, महना बाजार, मोतिपुर, साहेबगंज, चकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपराकोठी, मोतिहारी। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-05.51 बेतिया प्र०-15.34	टेक्स- 19.10.2023 फिटनेस- 25.11.2024 इन्श्युरेंस- 05.01.2024 प्रदुषण- 25.08.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त।		आवेदित वाहन पर दिनांक 13.02.2023 का 2500 रुपये जुर्माना लंबित है।		लंबित जुर्माना तथा 10000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने की शर्त के साथ स्वीकृत।

+

ए

/

क्र० स०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
14 (1/2)	श्री श्याम सुन्दर ठाकुर, पिता-स्व० रामकृपाल ठाकुर, पता-भीरवा, बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी।	बी०आर० ०६पी. बी.-2139	05.07.2012 मॉडल-2012	मार्ग संख्या-2471, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर भाया-बोहा, गाढा, सेवपुर, झपहॉ, दोगपुर, सहबाजपुर, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। सीतामढ़ी प्र०-05.44, 10.59, 17.29 मुजफ्फरपुर प्र०-08.28, 13.34, 20.59	टेक्स- 04.10.2023 फिटनेस- 28.08.2024 इन्श्युरेंस- 03.07.2024 प्रदुषण- 05.09.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्रीमती जिप्सी देवी परमिट सं०-बी. आर.2023-एस.सी.-0224ए, आवृत वाहन सं०-बी०आर००६पी.एफ.-3413 मार्ग-सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-05:44 आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-05:48 अंतराल 04 मिनट। नोट-प्राधिकार के नियमानुसार सीतामढ़ी से 05 मिनट का अंतराल चाहिए। 2-आपत्तिकर्ता-श्री गाँधी प्रसाद सिंह परमिट सं०-बी. आर.2020-एस.सी.-0408ए, आवृत वाहन सं०-बी०आर००६पी.डी.-7651 मार्ग-सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक सीतामढ़ी प्र०-05:44 आपत्तिकर्ता सीतामढ़ी प्र०-05:46 अंतराल 02 मिनट। अंतराल 02 मिनट जबकि सीतामढ़ी मुख्य बिन्दु सेम मार्ग पर अंतराल 08 मिनट है। 3-आपत्तिकर्ता-श्री सुबोध कुमार परमिट सं०-बी.आर. 2023-एस.सी.-2042ए, आवृत वाहन सं०-बी०आर०३०पी.ए.-9761 मार्ग-पटना से सीतामढ़ी। मैं सुबोध कुमार वाहन सं० बी.आर.३०पी.ए.९७६१ का मालिक हूँ। वाहन स्वामी श्री श्याम सुन्दर ठाकुर ने अपनी गाड़ी बी.आर.०६पी.बी.२१३९ का मार्ग सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर के लिए स्थायी परमिट हेतु समय सारणी का प्रकाशन कराया है जिसमें मुझे निम्न आपत्ति है।	बी०आर००६पी.एफ. -3413 टेक्स- 29.09.2023 फिटनेस-06.04.2024 इन्श्युरेंस- 04.04.2024 प्रदुषण- 01.01.2024 बी०आर००६पी.डी. -7651 टेक्स- 29.09.2023 फिटनेस- 05.06.2024 इन्श्युरेंस- 26.02.2024 प्रदुषण- 16.02.2024 बी०आर०३०पी.ए.-9761 टेक्स- 14.11.2023 फिटनेस- 06.06.2025 इन्श्युरेंस- 03.05.2024 प्रदुषण- 23.12.2023	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० ०६पी.डी. -7651 परमिट सं०-बी.आर.2020-एस. सी.-0408ए, वैधता 08.07.2025 का सीतामढ़ी में समय 05:46 है। समय अंतराल 02 मिनट है, जबकि 05 मिनट होना चाहिए। आपत्ति-2 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० ०६पी.एफ. -3413 परमिट सं०-बी.आर.2023-एस. सी.-0224ए, वैधता 12.01.2028 का सीतामढ़ी में समय 05:48 है। समय अंतराल 04 मिनट है, जबकि 05 मिनट होना चाहिए।	बी०आर० ०६ पी.डी.-7651 टेक्स- 29.09.2023 फिटनेस-05.06.2024 इन्श्युरेंस- 26.02.2024 प्रदुषण- 16.02.2024 बी०आर० ०६ पी.एफ. -3413 टेक्स- 29.09.2023 फिटनेस-06.04.2024 इन्श्युरेंस- 04.04.2024 प्रदुषण- 01.01.2024	आवेदन वापस लिया आपत्तिकर्ता श्री गाँधी प्रसाद सिंह वाहन सं० बी.आर. 06 पी. एफ-3413 पर लंबित जुर्माना जमा करने के साथ 10000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करे।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
14 (2/2)	श्री श्याम सुन्दर ठाकुर, पिता-स्व० रामकृपाल ठाकुर, पता-भीखा, बाजपट्टी, जिला-सीतामढ़ी।	बी०आर ०६पी. बी.-2139	05.07.2012 मॉडल-2012	मार्ग संख्या-2471, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर भांया-बोहा, गाढा, सैदपुर, झपहाँ, द्वीपपुर, सहबाजपुर, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। सीतामढ़ी प्र०-05.44, 10.59, 17.29 मुजफ्फरपुर प्र०-08.28, 13.34, 20.59	ट्रेक्स- फिटनेश- इन्चुरेंस- प्रदुषण-	आपत्ति क्रमांक (i) आवेदक का सीतामढ़ी प्रस्थान 17:29 मिनट एवं आपत्तिकर्ता का सीतामढ़ी प्रस्थान 17:33 मिनट अंतराल 04 मिनट जबकि प्राधिकार में निर्णय है कि सीतामढ़ी से चलने वाली गाड़ी को 05 मिनट का अंतराल होना चाहिए। आपत्ति क्रमांक (ii) आवेदक सीतामढ़ी प्रस्थान 05:44 मिनट के संबंध में कहना है कि गत बैठक में क्रमांक (31) पर श्री गौधी प्रसाद सिंह वास्ते अमर ज्योति ट्रेवल्स ने श्री रामबाबू राय के 05:43 मिनट पर 05:46 मिनट परमिट सं० बी.आर.2020-एस.सी.-0408ए. आवृत्त वाहन सं० बी.आर.06पी.डी.7651 से आपत्ति लगाया था। जिसमें आवेदक 05:44 एवं आवृत्त परमिट पर आवंटित समय 05:46 अंतराल 02 मिनट हो रहा है।				
15	श्री विजय कुमार झा, पिता-स्व० चन्द्रिका झा, पता-मधुरापुर, विदुपुर, जिला-वैशाली।	बी०आर 51 पी. -1446	06.01.2020 मॉडल-2014	मार्ग संख्या-3812 पटना से मोतिहारी। भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकौली घाट, फकुली, रामदयालुनगर, मुजफ्फरपुर बस स्टैंड, रौशन पानापुर, काँटी, महना बाजार, मोतीपुर, साहेबगंज, अकिया बाजार, कल्याणपुर, पिपरा कोठी। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-06.53 मोतिहारी प्र०- 14.52	ट्रेक्स- 23.11.2023 फिटनेश- 09.01.2024 इन्चुरेंस- 12.06.2024 प्रदुषण- 16.01.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पयर है। आपत्ति अप्राप्त।		1. आवेदित वाहन पर पटना में दिनांक 19.09.2023 का 2500 रुपये जुर्माना बकाया है। 2. वी. एल. टी. डी. ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।		10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने एवं लंबित जुर्माना ससमय जमा नहीं करने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना (कुल-15000 रुपये) जमा करने के शर्त पर स्वीकृत।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
16	श्री विजय कुमार सिंह, पिता-योगेन्द्र सिंह, पता-131 नियर किसान भवन वार्ड नं० 05 छतौनी, जिला-शिवहर,	बी०आर, 06पी ई०-8016	26.02.2020 मॉडल-2020	मार्ग संख्या-2407, पिपराही से बैरिया बस स्टेण्ड माया-शिवहर, कुशहर, तरियानी, भीनापुर, जीरोमाईल, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। पिपराही प्र०-03:29, 07:10, 10:57, 16:36, बैरिया बस स्टेण्ड प्र०-05:38, 09:14, 13:28, 19:08,	टैक्स-23.11.2023 फिटनेश-25.02.2024 इन्शुरेंस-07.04.2024 प्रदुषण-03.03.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।				स्वीकृत।
17	श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता-श्री सतन राय, पता-ग्राम+पौ०-जलालपुर, थाना-लालगंज जिला-वैशाली।	बी०आर, 06 पी एफ-2303	20.10.2021 मॉडल-2021	मार्ग संख्या-2910, नवलपुर से पटना मिठापुर भाया-बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरेराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मनिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर, पटना मिठापुर, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। नवलपुर प्र०-07:01, पटना मिठापुर प्र०-14:08,	टैक्स-29.09.2023 फिटनेश-19.10.2023 इन्शुरेंस-11.10.2023 प्रदुषण-24.04.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।		1. आवेदित वाहन पर 500 रुपये DFO, पटना का जुर्माना लंबित है। 2. वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।	10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने एवं लंबित जुर्माना ससमय जमा नहीं करने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना (कुल-15000 रुपये) जमा करने के शर्त पर स्वीकृत।	





क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
18	श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता-श्री सतन राय, पता-ग्राम-पो- जलालपुर, थाना-लालगंज जिला-वैशाली।	बी०आर, ०६ पी एफ-५८२२	०६.०३.२०२३ मॉडल-२०२३	मार्ग संख्या-२९१०, नवलपुर से पटना मिठापुर भाया-बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़पुर, अरेराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मनिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर, पटना मिठापुर, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। नवलपुर प्र०-०९:३०, पटना मिठापुर प्र०-१७:४०,	टेक्स-२७.११.२०२३ फिटनेस-०५.०३.२०२५ इन्श्युरेंस-०३.०३.२०२४ प्रदुषण-०५.०४.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। १-आपत्ति अप्राप्त है।				स्वीकृत।
19	श्री ऋतिक कुमार पति-विजय कुमार पता-महुआ सिंह राय, महुआ, जिला-वैशाली।	बी०आर, ०६ पी एफ- ५५४३	०९.०२.२०२३ मॉडल-२०२३	मार्ग संख्या-२६०३, पटौरी से मुजफ्फरपुर भाया- जन्दाहा, महुआ, मरीचा, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। पटौरी प्र०-०३:२५, ०८:४२, ११:३०, १५:११, मुजफ्फरपुर प्र०-०६:३४, १०:०८, १३:३६, १७:४९,	टेक्स-०६.११.२०२३ फिटनेस-०८.०२.२०२५ इन्श्युरेंस-०५.०२.२०२४ प्रदुषण-०८.०२.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति अप्राप्त है।	सॉफ्टवेयर में VLTD प्रदर्शित नहीं हो रहा है। VLTD विवरण भी संलग्न नहीं है।		१०००० रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने के शर्त पर स्वीकृत।	
20	श्री चन्द्रमणी कुमार, पिता-राम कुमार सिंह, पता-ग्राम-मौंघी, वार्ड नं०-०६, भंडारी, थाना-बेलसण्ड जिला-सीतामढ़ी।	बी०आर, ३० पी-१८६७	१६.११.२०११ मॉडल-२०११	मार्ग संख्या-२३४४, बेलसण्ड से सीतामढ़ी भाया-परसौनी, प्रतिदिन पाँच खेप जाना आना। बेलसण्ड प्र०-०६:३५, ०९:३०, १२:०५, १५:०५, १७:०५, सीतामढ़ी प्र०-०८:२४, १०:३९, १३:३५, १६:१५, १८:२६,	टेक्स-२९.१०.२०२३ फिटनेस-०२.०८.२०२४ इन्श्युरेंस-०१.०८.२०२४ प्रदुषण-३१.०७.२०२४	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति अप्राप्त है।			स्वीकृत।	

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
21	श्री राजेश रंजन शुक्ला, पिता-गिरिजा शंकर शुक्ला, पता-करगाहिया पूर्वी अंचल-बेतिया जिला-पश्चिम चम्पारण।	बी०आर, 22 पी-2141	12.07.2011 मॉडल-2011	मार्ग संख्या-3814, बगहाँ स्टेशन से बेतिया भाया-बगहा बाजार, चौतरवा, परसौनी, लौरिया, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। बगहाँ स्टेशन प्र०-05:35, 11:05, 18:05, बेतिया प्र०-07:56, 14:38, 20:23,	टेक्स-11.10.2023 फिटनेश-01.07.2024 इन्श्युरेंस-07.11.2023 प्रदुषण-07.11.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति अप्राप्त है।				स्वीकृत।
22	श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता-श्री सतन राय, पता-ग्राम+पो०- जलालपुर, धाना-लालगंज जिला-बैशाली।	बी०आर, 06 पी एफ-5806	06.03.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-2910, नवलपुर से पटना मिठापुर भाया-बेतिया, जगदीशपुर, पहाडपुर, अरेसज, खजुरिया, केसरिया, देहरिया, मन्किपुर, सरैया, लालगंज, हाजीपुर, पटना मिठापुर, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। नवलपुर प्र०-08:14, पटना मिठापुर प्र०-16:50,	टेक्स-27.11.2023 फिटनेश-05.03.2025 इन्श्युरेंस-03.03.2024 प्रदुषण-05.03.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्ति अप्राप्त है,		DTO, पटना का कुल 4500 रुपये जुर्माना लंबित है।		लंबित जुर्माना ससमय जमा नहीं करने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने की शर्त पर स्वीकृत।
23	श्री मदन मोहन शर्मा, पिता-स्व० भुवनेश्वर शर्मा, पता-ग्रा०+पो० + धाना-रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढी	बी०आर, 06 पी सी-2561	08.07.2014 मॉडल-2014	मार्ग संख्या-4821, झउन सीतामढी से पटना भाया-डुमरा, लगमा, प्रेमनगर बाइपास, रुन्नीसैदपुर, खनुआघाट, पिपराघाट, झपहा, मुजफ्फरपुर, बैरिया, भगवानपुर, सरैया, जतकौली घाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर, प्रतिदिन दो खेप जाना आना। सितामढी प्र०-04:08, 15:20, पटना प्र०-07:08, 19:47,	टेक्स-29.09.2023 फिटनेश-09.07.2024 इन्श्युरेंस-25.06.2024 प्रदुषण-24.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1.-आपत्तिकर्ता-नवनीता कुमारी, परमिट सं०-33/2018। (आवृत वाहन सं०-बीआर 31 पी ए-6066 मार्ग-पटना से न्यूजीरोमाईल मुजफ्फरपुर। आवेदक- पटना प्र०-19:47, आपत्तिकर्ता- पटना प्र०-19:47, (07:47), सेम समय।	बी आर31पीए6066 टेक्स-27.11.2023 फिटनेश-19.10.2024 इन्श्युरेंस-25.08.2024 प्रदुषण-20.10.2023	1. पटना से सीतामढी 145 किमी पटना से मुजफ्फरपुर 95 किमी कॉमन रूट 65 प्रतिशत है। पटना से समय (19:47) समान है। 2. आपत्तिकर्ता पर कुल 12000 रुपये DTO, पटना एवं मुजफ्फरपुर का लंबित है।		द्वितीय ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत। आपत्तिकर्ता लंबित जुर्माना ससमय जमा नहीं करने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करे।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
24	श्री मदन मोहन शर्मा, पिता-स्व० भुवनेश्वर शर्मा, पता-प्रा०+पो०+थाना-रुन्नीसैदपुर, जिला-सीतामढ़ी	बी०आर, 06 पी सी-7961	07.12.2015 मॉडल-2015	मार्ग संख्या-2471, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर भाया-शोडा, गाढा, सैदपुर, झपहाँ, दोगपुर, सहबाजपुर, प्रतिदिन चार खेप जाना आना। सितामढ़ी प्र०-08:46, 11:43, 14:10, 18:57, मुजफ्फरपुर प्र०-10:06, 12:53, 17:19, 22:35,	टेक्स-27.11.2023 फिटनेश-18.02.2024 इन्श्युरेंस-17.02.2024 प्रदुषण-06.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1.-आपत्तिकर्ता-राघवेन्द्र नारायण यादव, परमिट सं०-461/2013। (आवृत वाहन सं०-बीआर 30 पी-1168 मार्ग-सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक- सीतामढ़ी प्र०-18:57, (06:57) आपत्तिकर्ता- सीतामढ़ी प्र०-18:57, (06:57), सेम समय। नोट- प्राधिकार का पूर्व से निर्णय है कि मुख्य बिन्दु पर 05 मिनट के अंतराल पर आवेदन करना है। जबकि इन्होंने सेम समय आवेदन किया है। इसलिए मुझे उक्त बिन्दु पर आपत्ति है।	बी आर 30पी1168 टेक्स-05.11.2023 फिटनेश-26.03.2024 इन्श्युरेंस-02.04.2024 प्रदुषण-08.02.2024	<u>आपत्ति-1</u> कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० 06पी-3616 परमिट सं०-703/2009 बैद्यता 13.12.2024 का सीतामढ़ी में समय 11:42 है। समय अंतराल 01 मिनट है, जबकि 05 मिनट होना चाहिए। <u>आपत्ति-2</u> कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० 30पी-1168 परमिट सं०-461/2013 बैद्यता 03.10.2023 का सीतामढ़ी में समय 18:57 है। समय समान है।	बी आर 06पी-3616 टेक्स-14.04.2021 फिटनेश-04.02.2022 इन्श्युरेंस-12.01.2022 प्रदुषण-21.07.2021 बी आर 30पी-1168 टेक्स-05.11.2023 फिटनेश-26.03.2024 इन्श्युरेंस-02.04.2024 प्रदुषण-08.02.2024	चतुर्थ ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत। जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन सं० बी आर 06पी-3616 की जाँच कर ब्लैकलिस्टेड करें।
25	श्री राजीव कुमार सिंह, पिता-श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह, पता-कृष्णा काम्लेक्स ब्लॉक रोड, बारा चकिया, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आर, 05 पी बी -9496	16.01.2019 मॉडल-2018	मार्ग संख्या-2472, सितामढ़ी से शिवहर भाया-परसीनी प्रतिदिन आठ खेप जाना आना। सितामढ़ी प्र०-04:34, 06:37, 09:50, 13:35, 15:25, 16:35, 18:45, 2014, शिवहर प्र०-05:30, 08:05, 11:28, 14:08, 16:00, 17:22, 19:30, 21:30,	टेक्स-18.04.2024 फिटनेश-16.01.2025 इन्श्युरेंस-02.01.2024 प्रदुषण-18.01.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्ति अप्राप्त है,		मार्ग का नक्शा संलग्न नहीं है।		5000 रुपये जुर्माना एवं नक्शा जमा करने की शर्त के साथ स्वीकृत।
26	श्री संजीव कुमार सिंह, पिता-श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह, पता-ग्राम+पोस्ट-खोदापुर, मधुवन, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आर, 05 पी बी -9396	18.01.2019 मॉडल-2018	मार्ग संख्या-2472, सितामढ़ी से शिवहर भाया-परसीनी प्रतिदिन नौ खेप जाना आना। सितामढ़ी प्र०-04:44, 05:53, 07:05, 08:21, 09:44, 13:19, 15:05, 17:36, 19:20, शिवहर प्र०-5:22, 06:28, 07:50, 09:03, 10:31, 14:29, 16:15, 18:15, 20:35,	टेक्स-17.04.2024 फिटनेश-25.01.2025 इन्श्युरेंस-02.01.2024 प्रदुषण-18.01.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्ति अप्राप्त है,		मार्ग का नक्शा संलग्न नहीं है।		5000 रुपये जुर्माना एवं नक्शा जमा करने की शर्त के साथ स्वीकृत।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
27	श्रीमति नवनीता कुमारी, पति- श्री पंकेश रंजन, पता-जगदीश कुटीर, वार्ड न० 10 रसूलपुर, जिलाली मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी०आर, 06 पी एफ-7387	14.07.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-4820, डारन पटना से मिठामोर भाया-हाजीपुर, सराय, लालगंज, जतकोलीघाट, सरैया, बैरिया, मुजफ्फरपुर, झोणपुर, झपहा, पिपराघाट, मिनापुर, टेंगराहा, खनुआघाट, रून्नीसेदपुर, कुम्मा, प्रेमनगर बाईपास, लगमा, डुमरा, सितामढी, सुरसण्ड, प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०-07:13, मिठामोर प्र०-14:38,	टेक्स-13.10.2023 फिटनेश-11.07.2025 इन्श्युरेंस-18.05.2024 प्रदुषण-13.07.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1.-आपत्तिकर्ता-शंकर प्रसाद सिंह, प्रतिनिधि-मेसर्स आलोक ट्रेवलस, (आलोक कुमार सिंह) परमिट सं०-706/2011। (आवृत वाहन सं०-बीआर 06 पी-8038 मार्ग-मुजफ्फरपुर से सीतामढी। आवेदक- सीतामढी प्र०-16:09, आपत्तिकर्ता- सितामढी प्र०-(16:10) 04:10, 01 मिनट अंतराल।	बीआर 06 पी० 8038 टेक्स-17.11.2023 फिटनेश-22.08.2024 इन्श्युरेंस-04.08.2024 प्रदुषण-17.02.2024	(1) आवेदित वाहन पर DTO , पटना का 5500 रुपये लंबित है। (2) सीतामढी आपत्तिकर्ता का मध्य बिन्दु है। समय अंतराल 01 मिनट है।	लंबित जुर्माना ससमय जमा नहीं करने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने के शर्त पर स्वीकृत।	

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
28	श्रीमति नवनीता कुमारी, पति-श्री पंकेश रंजन, पता- रसूलपुर, जिलाली चक्कर रोड, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी0आर, 06 पी ई-6660	06.08.2019 मॉडल-2019	मार्ग संख्या-4753, मुजफ्फरपुर बस पड़ाव से पटना बस पड़ाव, भाया-समदअलुनगर, फकुली, जलकौलीघाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। मुजफ्फरपुर बस पड़ाव प्र0- 05:51, 11:48, 16:10, पटना बस पड़ाव प्र0- 08:34, 13:56, 18:17,	टैक्स-26.11.2023 फिटनेश-05.03.2026 इन्श्युरेंस-03.03.2024 प्रदुषण-28.12.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1.-आपत्तिकर्ता-माहीप कुमार, परमिट सं0-177/2014। (आवृत वाहन सं0-बीआर 06 पी सी-1811 मार्ग-सीतामढी से पटना। आवेदक- पटना प्र0-13:56, आपत्तिकर्ता- पटना प्र0-(01:57) 13:57, 01 मिनट अंतराल। नोट-प्राधिकार द्वारा जारी समय-अंतराल के अनुसार उक्त सर्ग 02 मिनट का अंतराल होना चाहिए परन्तु आवेदक द्वारा 01 मिनट का अंतराल दिया गया है जो प्राधिकार के विदेश का उल्लंघन है। 2.-आपत्तिकर्ता-अमरेश कुमार, परमिट सं0-026/2018। (आवृत वाहन सं0-बीआर 31 पी ए0-5781 मार्ग-पटना मिठापुर बस पड़ाव से बेतिया। आवेदक- मुजफ्फरपुर बस पड़ाव प्र0-16:10, आपत्तिकर्ता- मुजफ्फरपुर बस पड़ाव प्र0-(04:10) 16:10, सेम समय। नोट-पूर्व के बैठक में निर्गत है कि मध्य बिन्दु पर एक मिनट का अंतराल होना चाहिए जबकि आवेदक ने जानबुझ कर मध्य बिन्दु पर सेम समय पर आवेदन किए हैं जिससे कार्यालय के नियम का उल्लंघन हो रहा है। जो सरासर गलत है। पटना से बेतिया-215 किमी पटना से मुजफ्फरपुर-95 किमी कॉमन रूट-44 प्रतिघात। मुजफ्फरपुर में समय समान है।	बीआर 06पीसी 1811 टैक्स-04.10.2023 फिटनेश-07.04.2024 इन्श्युरेंस-14.10.2023 प्रदुषण-12.03.2024 बीआर 31पीए 5781 टैक्स- 01.01.2024 फिटनेश-27.08.2024 इन्श्युरेंस-01.07.2024 प्रदुषण-01.01.2024	1. कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं0-बी0आर0 06पी.ए.-8240 परमिट सं0-79/2019 वैधता 07.04.2024 का मुजफ्फरपुर में समय 11:49 है। समय अंतराल मुजफ्फरपुर में 01 मिनट है, जबकि 02 मिनट होना चाहिए। 2. आवेदक का कहना है कि कार्यालय अभ्युक्ति का वाहन D.A.V. बखरी में स्कूल बस के रूप में परिचालित होती है। 3. आवेदित वाहन पर पटना का 1500 रुपये जुर्माना लंबित है। 4. आपत्तिकर्ता-अमरेश कुमार के वाहन बीआर 31 पी ए0-5781 पर 2500 रुपये जुर्माना लंबित है।	बी आर 06पीए-8240 टैक्स-24.10.2023 फिटनेश-20.04.2024 इन्श्युरेंस-22.11.2023 प्रदुषण-01.02.2024	लंबित जुर्माना ससमय जमा नहीं करने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने के शर्त पर द्वितीय एवं तृतीय ट्रिप कटाव के साथ स्वीकृत।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
30	श्री एकेश रंजन, पिता-प्रदुम्न कुमार मिश्रा, पता-रसूलपुर, जिला लो चक्कर रोड, जगदीश कुटारी, रमना जिला- मुजफ्फरपुर।	बी०आर. 06 पी एफ-7386	14.07.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-4821, डाउन सीतामढ़ी से पटना भाया-डुमरा, लंगमा, प्रेमनगर बाईपास, रूनीसैदपुर, खनुआघाट, पिपराघाट, झपहां, मुजफ्फरपुर, बैरिया, भगवानपुर, सैरैया, जतकौली घाट, लालगंज, सराय, हाजीपुर, प्रतिदिन दो खेप जाना आना। सितामढ़ी प्र०-03:45, 12:11, पटना प्र०-07:33, 16:20,	टेक्स-13.10.2023 फिटनेश-11.07.2025 इन्श्युरेंस-18.05.2024 प्रदुषण-14.07.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1.-आपत्तिकर्ता- सौरभ सिंह, परमिट सं०-BR2021-SC-2089A। (आवृत वाहन सं०-बीआर 06 पी एफ-1392 मार्ग- सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर। आवेदक- सीतामढ़ी प्र०-03:45, आपत्तिकर्ता- सीतामढ़ी प्र०-03:45, सेम समय। नोट-प्राधिकार के नियमानुसार सीतामढ़ी से 05 मिनट का अंतराल चाहिए।	टेक्स-29.09.2023 फिटनेश-20.04.2025 इन्श्युरेंस-31.03.2024 प्रदुषण-04.02.2024	(1) सीतामढ़ी से पटना-145 किमी सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर-65 किमी कॉमन रूट-44 प्रतिशत है। 2. आवेदित वाहन पर पटना का 7500 रुपये जुर्माना लंबित है। 3. आपत्तिकर्ता के वाहन बीआर 06 पी एफ-1392 पर 4000 रुपये जुर्माना लंबित है।	लंबित जुर्माना ससमय जमा नहीं करने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करने के शर्त पर प्रथम ट्रिप में मुजफ्फरपुर बाइपास के साथ आवेदन स्वीकृत। आपत्तिकर्ता के वाहन बीआर 06 पी एफ-1392 पर लंबित जुर्माना ससमय जमा नहीं करने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करे	
31	श्री राजेश रंजन शुक्ला, पिता-स्व० गिरीजा शंकर शुक्ला, पता-जयप्रकाश नगर, वार्ड नं०-14, रोड नं०-06, नियर-आई.टी.आई., जिला-पश्चिम चम्पारण।	बी.आर.22पी.ए. -5579	04.08.2023 मॉडल-2023	मार्ग संख्या-4721, हरनाटार से बेतिया, भाया-रामपुर, बगहा स्टेशन, बगहा बाजार, चौतरवा, परसोनी, इंगलिशिया, लौरिया, शनिचरी। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। हरनाटार प्र०-05:14, 11:57 बेतिया प्र०-08:28, 16:37	टेक्स-01.11.2023 फिटनेश-03.08.2025 इन्श्युरेंस-01.08.2024 प्रदुषण-03.08.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत नहीं है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री उदय सिंह, परमिट संख्या-396/2019, आवृत वाहन संख्या बी.आर.06पी.ई.-3327, मार्ग-बगहा स्टेशन से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-08:28 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-08:33, अंतराल 5 मिनट। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि आवेदक द्वारा चौतरवा से परसोनी के बीच की दूरी 06 कि०मी० दर्शाया गया है। जबकि चौतरवा से परसोनी की दूरी 07 कि०मी० है। अतः यह गति सीमा के उल्लंघन का विषय है।	बी.आर.06पी.ई.-3327 टेक्स-26.09.2023 फिटनेश-26.06.2025 इन्श्युरेंस-13.07.2024 प्रदुषण-05.02.2024	1. चौतरवा से परसोनी के बीच की 7 किमी की दूरी 10 मिनट में तय कर रहे हैं। गति सीमा का उल्लंघन नहीं है।	स्वीकृत।	

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबन्धन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
32	श्रीमती जयंती तिवारी, पति-सुभाष चन्द्र तिवारी, पता-वार्ड नं०-05 दिघी कला वेस्ट, नई गंडक रोड, हाजीपुर, जिला-वैशाली।	बी.आर.06पी.ई.-9151	04.06.2019 मॉडल-2019	मार्ग संख्या- 3611, बासी से जसौली, भाया-तमकुहवा, धनहा, रतवल, पतिलार, चौतरवा, परसौनी, ईगलिसिया, लौरिया, बैसखवा, बलथर, मैनाटांड, इनरवा, भंगहा, सिसवा। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। बासी प्र०-03:35, 12:45 जसौली प्र०-07:15, 19:05	टेक्स-02.12.2023 फिटनेश-28.08.2025 इन्शुरेंस-24.08.2024 प्रदुषण-24.08.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत नहीं है। आपत्ति अप्राप्त है।		मार्ग का नक्शा गुगल मैप का दिया गया है।		मार्ग का नक्शा संलग्न नहीं रहने के कारण 5000 रुपये जुर्माना के साथ स्वीकृत।
33	श्रीमती पूनम देवी, पति-मनोज कुमार यादव, ग्राम-पो०-भगवानपुर, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी.आर.06पी.-6521	16.12.2008 मॉडल-2008	मार्ग संख्या- 4713, महिसवावा से मुजफ्फरपुर, भाया-अमनौर बाजार, भादो, झिटकिहीया, हथौड़ी, धनुषी, नरमा, छपरा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। महिसवावा प्र०-07:45 मुजफ्फरपुर प्र०-16:30	टेक्स-16.12.2023 फिटनेश-13.08.2024 इन्शुरेंस-07.08.2024 प्रदुषण-04.02.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत नहीं है। आपत्ति अप्राप्त है।				स्वीकृत।
34	श्री साहिल सिंह, पिता-लक्ष्मण सिंह, पता-वार्ड नं० 05, सिताब दियारा, धनहा, जिला-पश्चिम चम्पारण, बिहार-845404	बी.आर.06पी.एफ.-0839	30.01.2021 मॉडल-2020	मार्ग संख्या- 3611, बासी से जसौली, भाया-तमकुहवा, धनहा, रतवल, पतिलार, चौतरवा, परसौनी, ईगलिसिया, लौरिया, बैसखवा, बलथर, मैनाटांड, इनरवा, भंगहा, सिसवा। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। बासी प्र०-23:25, 08:00 जसौली प्र०-03:45, 11:27	टेक्स-27.10.2023 फिटनेश-11.04.2025 इन्शुरेंस-26.07.2024 प्रदुषण-02.01.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।		1. आवेदित वाहन पर UP आर००टी०ओ० का 42500 रुपये का जुर्माना बकाया है। 2. बलथर से बैसखवा के बीच की दूरी 8 कि०मी०, 7 मिनट में तय कर रहे हैं। गति सीमा 68 कि०मी० प्रतिघंटा है, गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है।		अस्वीकृत।

क्र० स०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
35	श्री मुकेश ओझा, पिता-रव० जंगबहादुर ओझा, ग्राम-पताही, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर।	बी.आर.06पी.ए. -7973	12.10.2011 मॉडल-2011	मार्ग संख्या- 4718, सिगाही से मुजफ्फरपुर, भाया-उरती, मदन छपड़ा, फतेहाबाद, जाफरपुर बसैला, अम्बारा, बखरा, सरैया, भगवानपुर चौक। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। सिगाही प्र०-04:35, 10:05 मुजफ्फरपुर प्र०-07:27, 12:20	टैक्स-11.10.2023 फिटनेश-20.04.2024 इन्श्युरेंस-12.03.2024 प्रदुषण-12.10.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री अभिषेक कुमार सिंह वास्ते रीता देवी, परमिट संख्या-बी.आर. 2023-एस०सी०-0078ए०, आवृत वाहन संख्या बी. आर.06पी.-9781, मार्ग-सिगाही से मुजफ्फरपुर। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि:- 1. आवेदक के वाहन का बीमा जाली है, जाँचोपरांत निर्णय लिया जाए। 2. बीमा की कॉपी संलग्न है। जाँचोपरांत दोषी पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए काली सूची में डाला जाए। 3. संबंधित बीमा कम्पनी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए उचित निर्णय लेने की कृपा की जाए। 4. यदि आपत्तिकर्ता का आरोप गलत है तो उन्हें दण्डित किया जाए अन्यथा आवेदक, मुकेश ओझा पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि धोखाधड़ी पर रोक लगे।	बी.आर.06पी.-9781 टैक्स-05.10.2023 फिटनेश-04.04.2024 इन्श्युरेंस-22.09.2024 प्रदुषण-12.03.2024	1. फतेहाबाद से मदनछपड़ा के बीच 8 किमी की दुरी 3 मिनट में तय कर रहे हैं। गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है।		अस्वीकृत। आवेदक पर बार-बार गलत दावा प्रस्तुत कर प्राधिकार का बहुमुल्य समय बर्बाद करने के कारण 2000 रुपये जुर्माना अधिरोपित। बीमा प्रमाण पत्र की जाँच जिला परिवहन पदाधिकारी से कराये।

*

2/

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
36	श्री संतोष कुमार राय, पिता-स्व० रविन्द्र प्रसाद राय, पता-लालकोठी, बिलासपुर, वार्ड नं०-18, हरिनगर, रामनगर, जिला-पश्चिम चम्पारण।	बी.आर.06पी. एफ.-7225	13.05.2022 मॉडल-2022	मार्ग संख्या- 4700, रामनगर से बेतिया, भाया-लौरिया। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। रामनगर प्र०-06:21, 10:11, 13:52 बेतिया प्र०-08:45, 11:27, 17:45	टेक्स-29.10.2023 फिटनेश-12.05.2024 इन्शुरेंस-03.05.2024 प्रदुषण-08.05.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री दिनेश वास्ते गीता सिंह, परमिट संख्या-283/2019, आवृत वाहन संख्या बी.आर.06पी.डी.-4847, मार्ग-रामपुर चेकनाका से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-11:27 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-11-29, अंतराल 2 मिनट। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि प्राधिकार के नियम के अनुसार मुख्य बिन्दु पर बेतिया में 5 मिनट का अंतराल होना चाहिए जबकि आवेदक ने सेरे समय से 2 मिनट पहले आवेदन किये हैं।	बी.आर.06पी.डी.-4847 टेक्स-13.12.2023 फिटनेश-18.09.2023 इन्शुरेंस-13.09.2024 प्रदुषण-16.04.2024	आपत्ति-1 1. कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी0आर0 22पी.-2219 परमिट सं०-बी.आर. 2023-एस.सी.-1564ए. वैधता 30. 05.2028 का रामनगर में समय 13:51 है। समय अंतराल 01 मिनट है, जबकि 02 मिनट होना चाहिए। 2. आवेदक एवं आपत्तिकर्ता के वाहन का वी०एल०टी०डी० सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं है।	बी०आर० 22पी.-2219 टेक्स-26.08.2024 फिटनेश-18.01.2024 इन्शुरेंस-10.11.2023 प्रदुषण-09.03.2024	10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने के शर्त पर द्वितीय एवं तृतीय टिप कटाव के साथ स्वीकृत। आपत्तिकर्ता गीता सिंह के वाहन सं० बी.आर. 06पी.डी.-4847 का वी०एल०टी०डी० सॉफ्टवेयर में आनलाईन प्रदर्शित नहीं होने के कारण 10000 रुपये जुर्माना अधिरोपित।
37	श्री आलोक कुमार पाण्डेय, पिता-रामएकबाल पाण्डेय, पता-जयप्रकाश नगर, धाना-मु. बेतिया, जिला-पश्चिम चम्पारण।	बी.आर.22पी. -2817	08.03.2012 मॉडल-2012	मार्ग संख्या- 2766, साहेबगंज से मोतिहारी, भाया-कैसरिया, खजुरिया, कोटवा। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। साहेबगंज प्र०-05:58, 10:20 मोतिहारी प्र०-08:23, 15:01	टेक्स-04.12.2023 फिटनेश-02.03.2024 इन्शुरेंस-18.01.2024 प्रदुषण-16.11.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।				स्वीकृत।

★

7

A

क्र० स०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
38	श्री संतोष कुमार राय, पिता-स्व० रविन्द्र प्रसाद राय, पता-लालकोठी, बिलासपुर, वार्ड नं०-18, हरिनगर, रामनगर, जिला-पश्चिम छम्पारण।	बी.आर.06पी. एफ.-8625	13.05.2022 मॉडल-2022	मार्ग संख्या- 4700, रामनगर से बेलिया, भाया-लोरिया। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना रामनगर प्र०-08:05, 11:48, 16:55 बेलिया प्र०-09:54, 14:45, 19:09	टेक्स-29.10.2023 फिटनेस-12.05.2024 इन्सुरेंस-09.05.2024 प्रदुषण-08.05.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।		आवेदित वाहन का वी०एल०टी०डी० सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।		10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने के शर्त पर स्वीकृत।

/

/

/

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय	
39	श्री सुभाष चन्द्र तिवारी, पिता-राज किशोर तिवारी, पता-वार्ड नं०-05, दिग्धी कला वेस्ट, नई गंडक रोड, हाजीपुर, जिला-वेशाली, बिहार, पिन-844101	बी.आर.22पी.ए.-5625	14.08.2018 मॉडल-2018	मार्ग संख्या- 4721, बेतिया से हरनाटाड़, भाया-शनिचरी, लौरिया, इंगलिसिया, परसौनी, चौतरवा, बगहा बाजार, बगहा स्टेशन, रामपुर। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। बेतिया प्र०-04:49, 09:54, 15:55 हरनाटाड़ प्र०-06:44, 12:56, 19:11	टेक्स-26.09.2023 फिटनेश-13.07.2025 इन्श्युरेंस-05.04.2024 प्रदुषण-30.11.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री नन्द किशोर नारायण, परमिट संख्या-062/2018, आवृत वाहन संख्या बी.आर.22पी.ए.-6661, मार्ग-सानी पकड़ी से बगहा स्टेशन। आवेदक बेतिया प्र०-09:54 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-09:55, अंतराल 1 मिनट। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि आवेदक का बेतिया प्रथम बिन्दु है। प्राधिकार के नियमानुसार प्रथम बिन्दु पर 05 मिनट का समय चाहिए। आवेदक द्वारा हमें तंग-तवाह करने के लिए मात्र 01 मिनट का अंतराल दिया गया है। 2-आपत्तिकर्ता-श्री दिनेश्वर सिंह वास्ते हर्ष नारायण शाही, परमिट संख्या-बी.आर.2023-एस0सी0-0882ए, आवृत वाहन संख्या बी.आर.06पी.बी.-7545, मार्ग-बगहा स्टेशन से बेतिया। आवेदक बेतिया प्र०-09:54 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-09:58, अंतराल 4 मिनट। आपत्तिकर्ता ने आपत्ति में लिखा है कि आवेदक द्वारा प्रथम बिन्दु बेतिया पर 04 मिनट के अंतराल पर समय-सारणी का प्रकाशन कराया गया है, जबकि प्राधिकार के आदेशानुसार प्रथम बिन्दु पर 05 मिनट का अंतराल देना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा परसौनी से बेतिया की दूरी 06 कि०मी० दर्शाया गया है जिसे वाहन मात्र 05 मिनट में दूरी तय करती है। इस तरह यह गति सीमा के उल्लंघन का मामला है।	बी.आर.22पी.-6661 टेक्स-08.10.2023 फिटनेश-27.01.2024 इन्श्युरेंस-08.09.2024 प्रदुषण-14.08.2024 बी.आर.06पी.बी.-7545 टेक्स-25.12.2023 फिटनेश-07.02.2024 इन्श्युरेंस-10.04.2024 प्रदुषण-26.09.2023	1-आवेदक- श्री सुभाष चन्द्र तिवारी ने लिखा है कि उनके वाहन संख्या बी.आर.22पी.ए.-5625 का पूर्व स्थायी परमिट संख्या 195/2019, मार्ग- रामपुर से बेतिया, भाया-बगहा स्टेशन, बगहा बाजार, चौतरवा, परसौनी, लौरिया पर चार खेप जाना आना, 40 कि०मी० प्रतिघंटा के चाल से समय-सारणी निर्गत है। मेरे द्वारा वाहन की आयु के मुताबिक नये मार्ग जो बेतिया से हरनाटाड़, भाया-शनिचरी, लौरिया, इंगलिसिया, परसौनी, चौतरवा, बगहा बाजार, बगहा स्टेशन, रामपुर पर प्रकाशन कराया गया है जो मेरे गाड़ी का पूर्व का समय-सारणी था। उसी समय-सारणी पर बेतिया से हरनाटाड़ के लिए प्रस्थान 09:54 में द्वितीय खेप के लिए आवेदन किया है और पूर्व में प्राधिकार के द्वारा निर्गत स्थायी परमिट संख्या 195/2019 में भी बेतिया से रामपुर के लिए 09:54 द्वितीय खेप में था। मैंने अपने ही समय-सारणी पर पुनः मार्ग संशोधित कर तथा वाहन की आयु के मुताबिक स्थाई परमिट हेतु समय-सारणी प्रकाशन कराया है। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उक्त समय-सारणी पर मेरे विरुद्ध कोई भी प्रतिद्वन्दी द्वारा आपत्ति किया जाता है तो उनकी आपत्ति को मान्य न किया जाए। इस आधार पर मुझे प्राथमिकता अवश्य दी जाए। 2. आवेदित वाहन पर वर्ष 2021 का यू०पी० में जुर्माना बकाया है। 3. गुगल मैप दिया गया है। 4. चौतरवा से परसौनी के बीच 6 कि०मी० की दूरी 5 मिनट में तय कर रहे हैं। गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है।			अस्वीकृत।





क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
40	श्री विशाल आनन्द, पिता-उमाकांत कुपार सिंह, मठिया जिरात, छतोनी, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.06पी.ई.-3927	13.08.2019 मॉडल-2019	मार्ग संख्या- 2465 डारुन, रक्सौल से सीवान, भाया-सुगौली, छपवा, मोतिहारी, खजुरिया, महमदपुर, गोपालगंज, भीरगंज। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-04:19 सीवान प्र०-11:40	टैक्स-30.10.2023 फिटनेश-12.08.2025 इन्शुरेंस-02.08.2024 प्रदुषण-03.03.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।		मार्ग का नक्शा संलग्न नहीं है।		मार्ग का नक्शा संलग्न नहीं रहने के कारण 5000 रुपये जुर्माना के साथ स्वीकृत।
41	श्री पियुष विशाल, पिता-जिवेन्द्र चौरसिया, बेला गोला, हरिनगर, जिला-पश्चिम चम्पारण।	बी.आर.06पी.बी.-8825	14.08.2013 मॉडल-2013	मार्ग संख्या- 4700, रामनगर से बेतिया, भाया-लौरिया। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। रामनगर प्र०-05:50, 10:03, 13:30, 16:10 बेतिया प्र०-07:33, 11:42, 14:33, 19:14	टैक्स-18.04.2024 फिटनेश-23.02.2024 इन्शुरेंस-14.02.2024 प्रदुषण-07.02.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।				स्वीकृत।
42	राय ऑटोमोबाईल्स, प्र०-सहदेव राय, पिता-स्व० शीतल राय, दीधी खुर्द, पो०-दीधी कला, थाना-सदर हाजीपुर, जिला-वैशाली।	बी.आर.31पी.ए.-3576	21.11.2017 मॉडल-2017	मार्ग संख्या-2523, भरतीपुर से मीठापुर पटना, भाया-बलीगाँव, ईमादपुर, पातेपुर, डरुआ, रमौली, डमैच, कुशहर, महुआ, कन्हौली, दीधीकला, हाजीपुर, गायघाट, अममकुआँ, हनुमाननगर। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। भरतीपुर प्र०-03:43, 15:05 मीठापुर पटना प्र०-09:23, 17:38	टैक्स-20.11.2023 फिटनेश-30.11.2023 इन्शुरेंस-21.11.2023 प्रदुषण-16.11.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत नहीं है। आपत्ति अप्राप्त है।		आवेदित वाहन का वी०एल०टी०डी० सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।		10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने के शर्त पर स्वीकृत।

*

✓

✓

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
43	श्रीमती: भारती रानी, पति-निवास चन्द्र तिवारी, पता-वार्ड नं०-05, दिधी कला वेस्ट, नई गंडक रोड, हाजीपुर, वैशाली, बिहार, पिन-844101	बी.आर.06पी.ई.-7762	15.02.2020 मॉडल-2020	मार्ग संख्या- 2412, सिकटा से लालगढ़, भाया-बलथर, बैसखवा, बेतिया। प्रतिदिन छह खेप जाना आना। सिकटा प्र०-03:25, 08:17, 09:39, 13:08, 15:41, 19:16 लालगढ़ प्र०-04:32, 07:53, 11:43, 14:10, 17:55, 20:52	टेक्स-29.10.23 फिटनेश-17.02.24 इन्शुरेंस-30.05.24 प्रदुषण- 31.05.24	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत नहीं है। आपत्ति अप्राप्त है।		<u>आपत्ति-1</u> कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी0आर0 22पी.ए.-4673 परमिट सं०-बी.आर.2021-एस.सी.-2808ए. वैधता 22.11.2026 का सिकटा में समय 06:20 है। समय अंतराल 03 मिनट है, जबकि 05 मिनट होना चाहिए। फिटनेश फेल है। (2) गुगल मैप दिया है।	बी0आर0 22पी.ए.-4673 टेक्स-23.10.2023 फिटनेश-09.11.2022 इन्शुरेंस-19.01.2024 प्रदुषण-13.02.2024	मार्ग का नक्शा नहीं देने के कारण 5000 रुपये जुर्माना जमा करने की शर्त पर वाहन सं० बी0आर0 22पी.ए.-4673 का फिटनेश फेल होने के कारण बिना ट्रिप कटाव के स्वीकृत। जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन सं० बी.आर. 22पी.ए. 4673 की जाँच कर नियमानुसार जुर्माना करें।
44	श्री सतेन्द्र कुमार, पिता-सतन राय, पता-ग्राम-पोस्ट जलालपुर, थाना-लालगंज, जिला- वैशाली।	बी.आर.06पी.ई.-4101	01.02.2020 मॉडल 2019	मार्ग संख्या-2910- नवलपुर से पटना मिठापुर भाया- बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़ापुर, अरेराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मनिक्पुर, सरैया, लालगंज, हाजिपुर, पटना, मिठापुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। नवलपुर प्र०- 09.55 पटना मिठापुर प्र०- 18.00	टेक्स-15.11.2023 फिटनेश-26.08.2025 इन्शुरेंस-09.09.2024 प्रदुषण-02.07.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री सौन्दर्य कुमार वाहन सं० बीआर 05पीबी- 0794 परमिट सं० 2022-एसी-1064ए मार्ग- नवलपुर से पटना अरेराज से खजुरिया के बीच गति सीमा का उल्लंघन हो रहा है। 26 कि०मी० की दूरी 25 मिनट में तय कर रहे हैं लेकिन प्रकाशन में समय यानि 27 मिनट दर्शाये है जो कि त्रुटिपूर्ण है।	बीआर 05पीबी 0794 टेक्स-06.12.2023 फिटनेश-20.03.2025 इन्शुरेंस-05.07.2024 प्रदुषण-08.06.2024	<u>आपत्ति-1</u> कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी0आर0 06पी.एफ.-3011 परमिट सं०-बी.आर.2022-एस.सी.-0913ए. वैधता 24.04.2027 का नवलपुर में समय 09:55 है। समय समान है। (2) आपत्तिकर्ता के वाहन बी.आर.पी. बी.-0794 पर पटना DTO का 2500 रुपये जुर्माना बकाया है। (3) अरेराज से खजुरिया के बीच की दूरी 26 किमी को 25 मिनट में तय कर रहे हैं। गति 62.4 किमी/घंटा है। गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है।		अस्वीकृत। आपत्तिकर्ता श्री सौन्दर्य कुमार बी.आर. 05पीबी- 0794 पर लंबित जुर्माना ससमय जमा नहीं करने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करें।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
45	श्री जितेन्द्र कुमार, पिता-स्व० सोना ताल प्रसाद, पता-ग्राम-कोईरिया टोला, मेन रोड, सोना टॉकिज, रक्सौल, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.06पी.डी.-9293	01.09.2018 मॉडल 2018	मार्ग संख्या-4783- मोतिहारी से रक्सौल भाया- छपवा, सुगौली, रामगढ़या। प्रतिदिन चार खेप जाना आना। मोतिहारी प्र०- 04.25 08.05 11.12 16.31 रक्सौल प्र०- 06.29 09.38 14.20 18.25	टैक्स-30.11.2023 फिटनेश-12.01.2025 इन्श्युरेंस-11.10.2023 प्रदुषण-03.09.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।		मार्ग का गुगल मैप दिया गया है। जो मान्य नहीं है।		मार्ग का वैध नक्शा नहीं देने के कारण 5000 रुपये जुर्माना के साथ स्वीकृत।
46	श्री सुभाष चंद्र तिवारी, पिता-राज किशोर तिवारी पता-वार्ड नं० 05 दिघीकाला वेस्ट, नई गंडक रोड, जिला- वैशाली। वर्तमान पता-बसंत बिहार कॉलोनी, हरिवतिका चौक जिला-पं० चम्पारण।	बी.आर.02एफ.-0927	19.02.2015 मॉडल 2015	मार्ग संख्या-2412- सिकटा से लालगढ भाया- बलथर, बैसाखवा पं० चम्पारण। प्रतिदिन पांच खेप जाना आना। सिकटा प्र०- 03.54 07.33 10.42 14.32 17.42 लालगढ प्र०- 05.15 08.54 12.40 16.05 19.15	टैक्स-18.11.2023 फिटनेश-07.10.2023 इन्श्युरेंस-21.01.2024 प्रदुषण-02.08.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति अप्राप्त है।		(1) VLTD ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं है। (2) गुगल मैप का नक्शा दिया गया है।		10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने एवं मार्ग का नक्शा नहीं देने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना (कुल 15000 रुपये) जमा करने के शर्त पर स्वीकृत।
47	श्री नन्द किशोर साह, पिता-राम कैलाश साह, पता-झिटकहिया, राजेपुर, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.06पी.एफ.-7202	30.06.2023 मॉडल 2023	मार्ग संख्या-4895 डाउन मधुवन से दामोदरपुर भाया- तोतरिया, राजेपुर, बनघारा, मीनापुर, झपहौं, सहबाजपुर, मुजफ्फरपुर बैया। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। मधुवन प्र०- 08.40 16.50 दामोदरपुर प्र०- 10.45 18.54	टैक्स-28.09.2023 फिटनेश-26.06.2025 इन्श्युरेंस-29.06.2024 प्रदुषण-29.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। आपत्ति अप्राप्त है।		(1) टैक्स-28.09.2023 को फेल है। (2) मार्ग का नक्शा संलग्न नहीं है।		मार्ग का वैध नक्शा नहीं देने एवं वाहन का टैक्स फेल होने के कारण 5000+5000=10000 रुपये जुर्माना के साथ स्वीकृत।





क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
48	श्री सरफराज आलम, पिता-मैनुदीन अरंडा, पता-एम0एच0 नगर, जिला- सीवान।	बी.आर.29 पी.बी. -0108	10.05.2011 मॉडल 2011	मार्ग संख्या-2465 डाउन रक्सौल से सीवान भाया-सुगौली, छपवा, मोतिहारी, खजुरिया, महमदपुर, गोपालगंज, मीरगंज। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। रक्सौल प्र०- 06.52 सीवान प्र०- 14.50	टेक्स-09.02.2024 फिटनेश-14.10.2023 इन्श्युरेंस-07.10.2023 प्रदुषण-21.11.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1-आपत्तिकर्ता- मो० रेयाजूल वाहन सं० बीआर 06पीएफ 1280 के प्रकाशित समय सारणी पर आपत्ति के संबंध में। रेयाजूल पिता-मो० यासीन ग्राम-वार्ड नं० 19 बंगरा पो०-धाना सुगौली जिला पूर्वी चम्पारण का स्थायी निवासी हैं तथा बस रजि० सं०-बीआर06पीएफ1280 का स्वामी हैं मेरा स्थायी परमिट सं० बीआर2023-ब-0743 मार्ग रक्सौल से सिवान जो आपके प्राधिकार से निर्गत है। मुझे अपने वाहन से आवेदनकर्ता से निम्न आपत्ति है। 1. आवेदनकर्ता रक्सौल से प्र० का समय 06.52 दे रहे हैं तथा सुगौली 08.22 में आगमन कर रहे हैं तथा रक्सौल से सुगौली की दूरी 29कि०मी० दे रहे हैं तथा वाहन को 90 मिनट में पहुंचा रहे हैं तथा अपने आवेदन में मात्र 30 मिनट का समय का जिक्र कर रहे हैं जिससे बिल्कूल स्पष्ट हो रहा है कि उनकी नियत प्राधिकार को गुमराह करने का है तथा 29कि०मी० कि दूरी 90 मिनट में तय करना गति सीमा की विषमता को भी दर्शाता है। 2. पुनः आवेदनकर्ता वापसी में गोपालगंज से महम्मदपुर के लिए 16:00 बजे प्रस्थान कर महम्मदपुर 16:20 में पहुंच रहे हैं तथा कि०मी० 33 दे रहे हैं जिसकी दूरी मात्र 20 मिनट में तय कर रहे हैं तथा अपने आवेदन में 60 मिनट का जिक्र कर प्राधिकार कर रहे हैं। आवेदन पर विचार करते हुए आवेदक के आवेदन को निरस्त करने कि कृपा करे।	बीआर06पीएफ 1280 टेक्स-18.12.2023 फिटनेश-31.03.2025 इन्श्युरेंस-19.03.2024 प्रदुषण-20.03.2024	(1) गोपालगंज से महमदपुर की दूरी 33 किमी है, जिसे 20 मिनट में तय कर रहे हैं। गति 89 किमी/घंटा है। गतिसीमा का उल्लंघन हो रहा है। (2) आवेदक का कहना है कि आपत्तिकर्ता का वाहन आलोक ट्रेवल्स के बैनर पर चलती है, जिसके पाँच वाहन पर 75000 रूपया जुर्माना बकाया है। आपत्तिकर्ता- मो० रेयाजूल के वाहन सं० बीआर 06पीएफ 1280 पर 12500 रूपये जुर्माना लंबित है।	अस्वीकृत। आपत्तिकर्ता द्वारा लंबित जुर्माना ससमय जमा नहीं करने के कारण 5000 रूपये अतिरिक्त जुर्माना जमा करे।	

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
49	श्री रामनाथ पाण्डेय, पिता-रामेश्वर पाण्डेय, पता-छतौनी बाजार, पोस्ट-मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.06पी.ए.-1535	24.02.2010 मॉडल 2009	मार्ग संख्या-3527- मोतिहारी से बैरगिनिया माया- ढाका। प्रतिदिन दो खेप जाना आना। मोतिहारी प्र०- 04.28 15.30 बैरगिनिया प्र०- 09.05 17.25	टेक्स-23.11.2023 फिटनेश-13.11.2023 इन्श्युरेंस-17.07.2024 प्रदुषण-29.11.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री अभिषेक वास्ते वीणा देवी वाहन सं० बीआर 06पीए-0634 मार्ग- मोतिहारी से बैरगिनिया आवेदक मोतिहारी प्र०-15.30 एवं 04:28 आपत्तिकर्ता मोतिहारी प्र०-15.30 एवं 04:28 अन्तःशाल भेग समय। आपत्तिकर्ता ने लिखा है कि आवेदक वाहन सं० बीआर06पीए 1535 का मोतिहारी मुख्य बिन्दु 15.30 पर जो आवेदन कराये है उनसे पहले मैं अपने वाहन सं० बीआर 06पीए 0634 का मोतिहारी 15.30 पर 05/08/2023 को आवेदन किये थे जो प्राधिकार के निर्धारित बैठक 30/08/2023 में रखा गया था। जो कार्यालयी के क्रम सं० 4 पर अंकित है। प्रकाश कुमार द्वारा आपत्ति लगाया गया था जिस पर आपत्ति के आलोक में श्रीमान द्वारा जाँच के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी को लिखा गया है। जिला परिवहन पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण ने अपने स्तर से जाँचकर जाँच प्रतिवेदन श्रीमान के कार्यालय में भेज दिये है जाँच प्रतिवेदन को देखते हुये मेरे पूर्व के आवेदन पर विचार करने की कृपा की जाये। साथ ही आवेदक रामनाथ पाण्डेय के आवेदन में त्रुटि है बैरगिनिया से 09.05 में चलकर ढाका 10.22 आगमन जहाँ पर समय 77 मिनट के जगह पर आवेदन में 67 मिनट लिखा गया है एवं पूर्व से वाहन सं० बीआर05पीबी 6131 का मोतिहारी मुख्य बिन्दु पर पहले से 04.28 पर परमिट सं० बीआर2023-एसी-2519ए निर्गत है जो कार्यालय अभिलेख से मिलाकर आवेदक के आवेदन को रद्द करने की कृपा की जाए।	बीआर 06 पीए-0634 टेक्स-17.01.2024 फिटनेश-25.11.2023 इन्श्युरेंस-21.11.2023 प्रदुषण-30.11.2023	आवेदक का कहना है कि वाहन सं० बीआर 05पीबी 6131 परमिट सं० बीआर2022-एसी-2519 से आवृत है। उक्त परमिट का 16.08.2023 को कार्यालय आर० टी०ए० मुजफ्फरपुर में सरेन्डर किया गया है लेकिन वाहन सं० बीआर05पीबी 6131 के परमिट के लिए एस०टी०ए० पटना में आवेदन होने के कारण ऑनलाइन से नहीं हटाया गया है। वाहन स्वामी द्वारा कार्यालय को दिये गये आवेदन एवं ऑनलाइन ई मेल के रसीद की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न है। उक्त परमिट का टाईम स्लॉट खाली हो गया है। (2) आवेदित वाहन का VLTD सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।	समान टाइम स्लॉट के लिए अगस्त 2023 के बैठक में प्राप्त आवेदन वाहन सं० बीआर 06पीए-0634 का आवेदन स्वीकृत होने के कारण अस्वीकृत।	

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
50	श्री परमात्मा पाण्डेय, पिता-पूजा पाण्डेय, पत्नी-कॉर्न, गाज, कुचायकोट जिला- गोपालगंज।	बी.आर.28 ई -2293	02.05.2011 मॉडल 2011	मार्ग संख्या-2412 सिकटा से लालगढ़ भाया- बलथर, बैसाखवा, बेतिया। प्रतिदिन पांच खेप जाना आना। सिकटा प्र०- 04.40 08.20 11.19 15.01 18.05 लालगढ़ प्र०- 06.36 09.25 12.28 16.20 19.13	टेक्स-01.11.2023 फिटनेश-27.07.2024 इन्सुरेंस-05.06.2024 प्रदुषण-18.10.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री भोला कुमार वाहन सं० बीआर 06पी-4271 परमिट सं० 2021-एसी-0277ए मार्ग-सिकटा से लालगढ़ आवेदक बेतिया प्र०-12.21 आपत्तिकर्ता बेतिया प्र०-12.21 अन्तराल सेम समय प्राधिकार के नियमानुसार प्रथम बिन्दु पर पांच मिनट का अन्तराल आवश्यक है, परन्तु आवेदक द्वारा बेतिया बिन्दु पर सेम समय का समय सारणी प्रकाशित कराया है। 2-आपत्तिकर्ता-श्री भोला कुमार वाहन सं० बीआर 06पीई-4394 परमिट सं० 553/2019 मार्ग- सिकटा से लालगढ़ आवेदक सिकटा प्र०-08.20 आपत्तिकर्ता सिकटा प्र०-08.20 अन्तराल सेम समय प्राधिकार के निर्णय अनुसार प्रथम बिन्दु पर पांच मिनट का अन्तराल होना चाहिए जबकि आवेदक द्वारा सिकटा बिन्दु पर सेम समय का समय सारणी प्रकाशित कराया गया है।	बीआर 06पी-4271 टेक्स-24.06.2024 फिटनेश-08.06.2024 इन्सुरेंस-26.05.2024 प्रदुषण-10.10.2023 बीआर 06पीई-4394 टेक्स-27.11.2023 फिटनेश-19.09.2023 इन्सुरेंस-12.12.2023 प्रदुषण-04.09.2024	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बीआर० 06 पी.ई.-4394 परमिट सं०-553 / 2019 वैधता 30.09.2024 का सिकटा में समय 08:20 है। समय समान है। आपत्ति-2 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-यू.पी. 86टी. -1027 परमिट सं०-507 / 2019 वैधता 18.09.2024 का लालगढ़ में समय 06:40 है। समय अंतराल 04 मिनट है। जबकि 05 मिनट होना चाहिए। (3) मार्ग का नक्शा गुगल मैप का दिया गया है। 4. VLTD ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। 4. श्री भोला कुमार वाहन सं० बीआर 06पी-4271 पर 6000 रुपये जुर्माना लंबित है।	कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-यू.पी. 86टी. -1027 परमिट सं०-507 / 2019 वैधता 18.09.2024 का लालगढ़ में समय 06:40 है। समय अंतराल 04 मिनट है। जबकि 05 मिनट होना चाहिए। (3) मार्ग का नक्शा गुगल मैप का दिया गया है। 4. VLTD ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है। 4. श्री भोला कुमार वाहन सं० बीआर 06पी-4271 पर 6000 रुपये जुर्माना लंबित है।	10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने एवं मार्ग का नक्शा नहीं देने के कारण 5000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना (कुल 15000 रुपये) जमा करने के शर्त पर प्रथम एवं द्वितीय ट्रिप कटाव तथा तृतीय ट्रिप में बेतिया बाइपास के साथ स्वीकृत। आपत्तिकर्ता श्री भोला कुमार वाहन सं० बीआर 06पीई-4394 पर 6000 रुपये जुर्माना लंबित होने के कारण 10000 रुपये अतिरिक्त जुर्माना अधिसूचित।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
51	श्री देवेन्द्र कुमार, पिता-धुवनाथ प्रसाद, पता-राजेश्वरी, पैतेश, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.06पी.. एफ-7592	26.07.2023 मॉडल 2022	मार्ग संख्या-2465 सीवान से रक्सौल भाया- मीरगंज, गोपालगंज, महमदपुरपुर, खजुरिया, मोतिहारी, छपवा, सुगौली। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। सीवान प्र०- 06.19 रक्सौल प्र०- 14.58	टैक्स-25.10.2023 फिटनेश-24.07.2025 इन्श्युरेंस-13.03.2024 प्रदुषण-25.07.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री आलोक कुमार पाण्डेय वाहन संख्या-बीआर06पीएफ 7592 के प्राकाशित समय सारणी पर आपत्ति के संबंध में। मैं आलोक कुमार पाण्डेय पिता रामएकबाल पाण्डेय ग्राम-पकडी पो० पूर्वी पकडी थाना झुमारियाघाट जिला पूर्वी चम्पारण का स्थायी निवासी हूँ। तथा बस रजि० सं० बीआर05पीबी 3495 का स्वामी हूँ। मेरी स्थायी परमिट सं० बआर2023-एसी-1813ए है। तथा मार्ग सिवान से रक्सौल है, जो प्राधिकार से निर्गत है। मुझे अपने वाहन से आवेदनकर्ता से निम्न आपत्ति है। 1. आवेदनकर्ता का बोर्ड NRA गुड़ीया है आवेदनकर्ता का एक बस रजि सं० बीआर 06पीएफ 5533 परमिट सं० बीआर2023-एसी-1434ए मार्ग सीवान से रक्सौल का स्थायी परमिट दिनांक-12.05.2023 को निर्गत है जिसका प्रतिहस्ताक्षर लगभग चार माह बीत जाने के बावजूद भी नहीं कराए है जबकि प्राधिकार का नियमावली क०सं० भी वर्णित है कि परमिट निर्गत करने कि तिथि से दो महीने के अन्दर यदि प्रतिहस्ताक्षर नहीं कराते हैं तो उनके वाहन का परमिट निलंबित/रद्द किया जा सकता है।	बीआर05पीबी 3495 टैक्स-20.11.2023 फिटनेश-27.03.2024 इन्श्युरेंस-08.06.2024 प्रदुषण-20.02.2024			वाहन सं०-बी.आर. 06 पीएफ 5533 परमिट सं० बीआर 2023-एसी-1434ए का प्रतिहस्ताक्षर ससमय नही कराने के कारण 10000 रूपये जुर्माना जमा करने के शर्त पर स्वीकृत।
52	श्री रविन्द्र नाथ चौबे, पिता-स्व० विष्णु चौबे, पता-मननपुर, थाना-गोविन्दगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.05पी.ए. -1604	23.06.2014 मॉडल 2013	मार्ग संख्या-2910- नवलपुर से पटना भाया- बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़ापुर, अरराज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, भनिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजिपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। नवलपुर प्र०- 06.39 पटना प्र०- 14.28	टैक्स-22.09.2023 फिटनेश-04.09.2024 इन्श्युरेंस-26.10.23 प्रदुषण-20.11.2023	शपथ पत्र के अनुसार परमिट से आवृत्त है। आपत्ति अप्राप्त है।		टैक्स फेल है।		टैक्स फेल होने के कारण 10000 रूपये जुर्माना एवं 3 माह का टैक्स जमा करने के शर्त पर स्वीकृत।

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
53	श्री मो० खालिस पति-सनउल्लाह मिया, पता-चरवा, रमगढवा, जिला- पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.06 पीई. -3904	09.08.2019 मॉडल 2019	मार्ग संख्या-2656 डाउन बेतिया से रक्सौल भाया-छपवा, सुगौली, रमगढवा। प्रतिदिन छः खेप जाना आना। बेतिया प्र०- 03.41 07.26 10.24 13.05 16.54 20.50 रक्सौल प्र०- 04.47 09.00 11.54 15.37 18.55 22.00 .	टैक्स-29.10.2023 फिटनेश-16.06.2024 इन्श्युरेंस-20.06.2024 प्रदुषण-24.06.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। -आपत्तिकर्ता-श्रीमति पम्मी सिंह वाहन सं० बीआर 05पीए 1837 परमिट सं०..... 1. यह वाहन मो० खालिस के नाम से निबंधित है मो० खालिसा के नाम से निबंधित वाहन वाहन सं० बीआर06पी 6986 पर सरकारी राजस्व 2022 से बकाया है अध्यक्ष महोदय द्वारा वाहन सं० बीआर06पी6986 पर फाईन भी किया गया है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। अवलोकन किया जा सकता है। 2. सभी वाहन महादेवापुरी बैनर में परिचालित होता है। महादेवापुरी बैनर द्वारा जाली बीमा मिछले बैठक में कर्मांक 23.24.25.27 को लगाया गया है आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जाँच लम्बित है एवं कर्मांक सं० 26 पर अध्यक्ष महोदय द्वारा होने तक लम्बित रख गया है। कर्मांक 26 की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। 3. महादेवापुरी बैनर के स्वामी द्वारा दुबारा जाँच होने वाले वाहन से आवेदन कर्मांक सं० 568.569.570.571. 567.617.618 पर किया गया है। कार्यवाही में अध्यक्ष महोदय द्वारा स्पष्ट आदेश है कि आरोपित बैनर के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाना है। इसे रद्द किया जाए।	बीआर05पीए 1837 टैक्स-19.09.2023 फिटनेश-01.11.2023 इन्श्युरेंस-02.08.2024 प्रदुषण-07.02.2024	1. मो० खालिस द्वारा अपने वाहन पर अधिरोपित कुल जुमाना 43360 रुपये जमा कर दिया गया है। 2. आपत्तिकर्ता का टैक्स फेल है।		स्वीकृत।

क्र० स०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
54	श्री मो० खालिस पति-सनाउल्लाह मियां, पता-चरवा, रमगढवा, जिला- पूर्वा चम्पारण।	बी.आर.05पी.बी. -6578	23.08.2023 मॉडल 2023	मार्ग संख्या-2656- रक्सौल से बेतिया भाया-रामगढवा, सुपौली, छपवा। प्रतिदिन छः खेप जाना आना। रक्सौल प्र०- 03.45 06.53 09.24 12.31 15.25 17.51 बेतिया प्र०- 05.14 07.59 10.33 14.16 16.33 19.40	टैक्स-20.11.2023 फिटनेश-22.08.2025 इन्श्युरेंस-20.08.2024 प्रदुषण-22.08.2024	शपथ पत्र के अनुसार वाहन स्पेयर है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री अजय कुमार वाहन सं० बीआर पीएफ 3436 परमिट सं०..... 1. वाहन स्वामी मो० खालिस का बस महदेवापुरी बस कं बैनर पर परिचालित होता है। महदेवापुरी बोर्ड के मालिक चंदन कुमार सिंह के पत्नी बर्तिका सिंह ने जाली बीमा के साथ पिछली बैठक में आवेदन किया गया था। 2. बीआर 06पी 6988 बस जो मो० खालिस के नाम में है। उस वाहन पर फरवरी 2022 से टैक्स बकाया है साथ ही फिटनेश बीमा फेल होते हुए पूर्व में प्राप्त परमिट पर बस का परिचालन होता है। 3. प्राधिकार का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी वाहन स्वामी पर टैक्स बकाया है उसके दुसरे आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।	बीआर पीएफ 3436 टैक्स-28.09.2023 फिटनेश-15.04.2024 इन्श्युरेंस-30.03.2024 प्रदुषण-07.05.2024	आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बीआर० 06पी.ई. -3254 परमिट सं०-445/2019 वैधता 08.08.2024 का बेतिया में समय 07:58 है। समय अंतराल 01 मिनट है। जबकि 02 मिनट होना चाहिए।		स्वीकृत।

/

/

/

क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
55	श्री सौन्दर्य कुमार, पति- रविन्द्र नाथ चौबे, पता-मननपुर, थाना-गोविन्दगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.05पी.बी.-0797	09.04.2019 मॉडल 2019	मार्ग संख्या-2910- नवलपुर से पटना भाया- बेतिया, जगदीशपुर, पहाडापुर, अरेशाज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मनिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजिपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। नवलपुर प्र०- 06.23 पटना प्र०- 14.07	टैक्स-06.12.2023 फिटनेश-06.06.2025 इन्सुरेंस-22.09.2024 प्रदुषण-30.05.2024	शपथ पत्र के अनुसार परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।				स्वीकृत।
56	श्री सुनील कुमार चौबे, पिता-स्व० विष्णु चौबे, पता-मननपुर, थाना, गोविन्दगंज जिला- पूर्वी चम्पारण।	बी.आर. 05 पी. बी.-5772	15.11.2021 मॉडल 2021	मार्ग संख्या-2910- नवलपुर से पटना भाया- बेतिया, जगदीशपुर, पहाडापुर, अरेशाज, खजुरिया, केसरिया, देवरिया, मनिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजिपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। नवलपुर प्र०- 08.44 पटना प्र०- 16.25	टैक्स-28.10.2023 फिटनेश-14.11.2023 इन्सुरेंस-05.11.2023 प्रदुषण-23.11.2023	शपथ पत्र के अनुसार परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।	VLTD ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।		10000 रुपये जुर्माना के साथ पाँच दिनों के अंदर वी.एल.टी.डी. ऑनलाईन कराने के शर्त पर स्वीकृत।	
57	श्री सौन्दर्य कुमार, पति- रविन्द्र नाथ चौबे, पता-मननपुर, थाना-गोविन्दगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी.आर.05पी.बी.-0795	09.04.2019 मॉडल 2019	मार्ग संख्या-2658 पटना से रक्सौल भाया- हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, बखरा, अम्बरा, जाफरपुर, साहेबगंज, केसरिया, खजुरिया, अरेशाज, हरसिद्धि, छपवा। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। पटना प्र०- 05.45 रक्सौल प्र०- 10.34	टैक्स-06.12.2023 फिटनेश-06.06.2025 इन्सुरेंस-05.07.2024 प्रदुषण-17.04.2024	शपथ पत्र के अनुसार परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।			स्वीकृत।	

क्र० स०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
58	श्री सौन्दर्य कुमार, पति- रविन्द्र नाथ चौबे, पता-मननपुर, थाना-गोविन्दगंज, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी. आर. 05 पीबी.-0426	02.03.2017 मॉडल 2016	मार्ग संख्या-2910- नवलपुर से पटना भाया- बेतिया, जगदीशपुर, पहाड़ापुर, अरंराज, खजुरिया, कंसरिया, देवरिया, मनिकपुर, सरैया, लालगंज, हाजिपुर। प्रतिदिन एक खेप जाना आना। नवलपुर प्र०- 01.45- पटना प्र०- 08.27	टेक्स-04.11.2023 फिटनेस-20.05.2025 इन्श्युरेंस-27.01.2024 प्रदुषण-08.02.2024	शपथ पत्र के अनुसार परमिट से आवृत है। आपत्ति अप्राप्त है।		आवेदन की तिथि समाप्त होने के बाद दिनांक 09.09.2023 को ऑनलाईन आवेदन किया गया है।		अस्वीकृत।

+

7

/

कार्यावली सं० (3)(ii)		परिशिष्ट-V			
एजेन्ट अनुज्ञप्ति					
क्र० संख्या	आवेदका का नाम एवं पता	आधार संख्या	शुल्क	नया अनुज्ञप्ति/नवीकरण अनुज्ञप्ति	निर्णय
1	एजेन्ट अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन-शुन्य।				

* 7 10

कार्यावली संख्या-3(iii) - परिशिष्ट-VI						
अन्य प्राधिकार से निर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट के प्रतिहस्ताक्षर के आवेदन पत्रों पर विचार।						
क्रम सं०	वाहक का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	शुल्क	मार्ग	आपत्ति	निर्णय
1	श्री उमाकान्त कुमार सिंह, पिता-स्व० किशोरी सिंह, मठिया जिरात, थाना-छतौनी, जिला-पूर्वी चम्पारण।	BR05PA-2260 परमिट संख्या- BR2022-SC-1389A	3000/- 12.08.2023	मार्ग संख्या-2199 सीवान से मोतिहारी, भाया-मीरगंज, गोपालगंज, महमदपुर, खजुरिया। प्रतिदिन दो खेप जाना-आना। सीवान प्र०-03:49, 12:48 मोतिहारी प्र०- 10:46, 15:27	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से निर्गत परमिट संख्या BR2022-SC-1389A के प्रतिहस्ताक्षर हेतु समय-सारणी का प्रकाशन कराया गया। प्रकाशनोपरान्त आपत्ति अप्राप्त है। नोट:- आवेदित वाहन का वी०एल०टी०डी० सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।	10000 रुपये जुर्माना के साथ वी०एल०टी०डी० ऑनलाईन कराने के शर्त पर स्वीकृत।
2	श्री प्रमोद कुमार सिंह, पिता-भारत भूषण सिंह, झखरा, पिपरा कोठी, जिला-पूर्वी चम्पारण।	BR06PE-8611 परमिट संख्या- BR2022-SC-1846A	3000/- 12.08.2023	मार्ग संख्या-4077 डाउन, मोतिहारी से सीवान, भाया-खजुरिया, महमदपुर, गोपालगंज, मीरगंज। प्रतिदिन दो खेप जाना-आना। मोतिहारी प्र०-06:09, 13:09 सीवान प्र०-10:08, 16:19	क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण से निर्गत परमिट संख्या BR2022-SC-1846A के प्रतिहस्ताक्षर हेतु समय-सारणी का प्रकाशन कराया गया। प्रकाशनोपरान्त आपत्ति अप्राप्त है। नोट:- आवेदित वाहन का वी०एल०टी०डी० सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहा है।	10000 रुपये जुर्माना के साथ वी०एल०टी०डी० ऑनलाईन कराने के शर्त पर स्वीकृत।

अगस्त 2023 के बैठक का लंबित आवेदन पर लिया गया निर्णय।

अगस्त 2023 के कार्यवाही का क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
4	श्रीमति वीणा देवी, पति-स्व० विजय सिंह, पता-हरदीयाबाद, पिपरा, जिला-पूर्वी चम्पारण।	बी०आर० ०६पी.ए. -०६३४	०१.१२.२००९ मॉडल-२००९	मार्ग संख्या-३४८६- बैरगनिया से मोतिहारी भाया- जमुआ, पचपकड़ी, झाका, शिरेया। प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। बैरगनिया प्र०- ०६.३६, ११.४४, १७.१० मोतिहारी प्र०- ०९.५३, १५.३०, २१.५७	टैक्स- ३१.०८.२०२३ फिटनेश- १७.०१.२०२४ इन्श्युरेंस- २५.११.२०२३ प्रदुषण- २१.११.२०२३	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। १-आपत्तिकर्ता-श्री प्रकाश कुमार परमिट सं०....आवृत वाहन सं० बी०आर ०६पी०ई०-९२९१ मार्ग... (१) आवेदक द्वारा मोतिहारी प्र०-१५:३० किया गया जबकि पहले से वाहन सं०-बी०आर ०५पी०बी०-२६७४ का मोतिहारी प्र०-१५:३० है कार्यालय अभिलेख से मिलान किया जाय एवं कार्यालय अभियुक्ति में जोड़ा जाय। (२) आवेदक का वाहन बी०आर ०६पी०ए०-०६३४ ग्रीन भैली स्कूल पकड़ीदयाल रोड में सिरसा में परिचालित होता है एवं पहले से भी परमिट से आवृत है। वाहन का फोटो बच्चा उतारते हुए स्कूल सहित का फोटो आवेदन के साथ संलग्न है। (३) बैम्पो बैनर पर परिचालित वाहन सं०-बी०आर ०५पी०ए०-७९३४ का टैक्स, बीमा, फिटनेश एवं पॉल्यूशन सभी लगभग २०१९, २०२०, २०२१ से फेल है। कार्यवाही के आदेशानुसार बैनर पर परिचालित होने वाले वाहन का राजस्व या शमन का बकाया रहने पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। (४) बैनर पर बकाया होने एवं वाहन स्कूल में परिचालित होने पर वाहन का पूर्व का परमिट एवं आवेदन रद्द किया जाय।	बी.आर. ६पी०ई०९२९१ टैक्स- २८.१०.२०२३ फिटनेश-११.०२.२०२४ इन्श्युरेंस-२९.०१.२०२४ प्रदुषण- ०९.११.२०२३	आवेदित वाहन स्कूल बस के रूप में परिचालित है। आपत्तिकर्ता के अनुसार वैम्पो ट्रैवेल्स के अधीन परिचालित वाहन संख्या बी.आर. ०५ पी.ए. ७९३४ का टैक्स, बीमा, फिटनेश एवं पॉल्यूशन फेल है। परन्तु यह परमिट से आवृत नहीं है।		वाहन सं० बी.आर. ०६पी.ए. ०६३४ का स्कूल बस के रूप में परिचालन के संबंध में जाँच करायी गयी। जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन दिनांक १५.०४.२०२३ से ३०.०५.२०२३ तक ही स्कूल बस के रूप में चली है। विभाग से प्राप्त वी. एल. टी. डी. रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाहन स्कूल बस के रूप में परिचालित नहीं हो रही है। अतएव प्राधिकार द्वारा सर्वसम्मति से आवेदन स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

*

27

18

अगस्त 2023 के कार्यवाही का क्र० सं०	वाहन स्वामी का नाम एवं पुरा पता	वाहन संख्या	निबंधन की तिथि एवं मॉडल	मार्ग एवं समय सारणी	वैधता	आपत्ति	आपत्तिकर्ता के वाहन का विवरण	अभ्युक्ति	कार्यालय अभ्युक्ति वाले वाहन का विवरण	निर्णय
26	श्रीमति वल्लिका सिंह, पति-चंदन कुमार सिंह, पता-मेन रोड, रक्सौल जिला-पू० चम्पारण।	बी०आर० 44पी. 1537	28.12.2011 मॉडल-2011	मार्ग संख्या-2656, रक्सौल से बेतिया माया-रमगढवा, सुगौली, छपवा, प्रतिदिन तीन खेप जाना आना। रक्सौल प्र०-06:27, 10:14, 13:08, बेतिया प्र०-08:20, 11:47, 17:34,	टेक्स-27.09.2023 फिटनेश-03.08.2024 इन्श्युरेंस-02.08.2024 प्रदुषण-22.012.2023	शपथ पत्र के अनुसार वाहन परमिट से आवृत है। 1-आपत्तिकर्ता-श्री अजय कुमार, 1.इनके बैनर का नाम महदेवापुरी बस है। आवेदिका के पति एवं ससुर चन्दन कुमार सिंह, पिता- भूवनेश्वर प्रसाद सिंह के नाम से निबंधित वाहन सं० बीआर 06पी०-1821 एवं बीआर 08पी०-3654 सरकार का राजस्व का राजस्व बकाया है, कार्यालय द्वारा ज्ञापांक 874/869 दिनांक 18.07.2023 के द्वारा नोटिस देने के बावजूद इनके द्वारा राजस्व जमा नहीं किया। 2. कार्यावाही के आदेशानुसार किसी भी बैनर या परिवारीक सदस्य पर राजस्व बकाया रहने पर आवेदन पर सुनवाई नहीं करने का स्पष्ट आदेश है।		7000 रुपये जुर्माना जमा है। आपत्ति-1 कार्यालय अभिलेख से मिलान करने पर वाहन सं०-बी०आर० 03पी.ए.-0702 परमिट सं०-बी. आर.-2023-एस.सी.-0701ए., वैधता 02.03.2028 का बेतिया में समय 17:34 है। समय समान है।	वाहन सं० बी.आर. 44पी. 1537 का आवेदन इसलिए लंबित रखा गया था कि उक्त वाहन के स्वामी के द्वारा अपने अन्य वाहन के आवेदन के साथ फर्जी बीमा प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। वाहन स्वामी के अनुरोध पर प्राधिकार द्वारा 3 लाख रुपये जुर्माना अधिरोपित करते हुए कुल जुर्माना एवं शपथ पत्र जमा करने के शर्त पर स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।	

अपर समाहर्ता, राजस्व सह-सदस्य,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
मुजफ्फरपुर।

अनुसूचक-1

समक्ष,

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती पिता श्री..... पता/ग्राम+पो0
.....थाना.....जिला.....का निवासी हूँ शपथ पूर्वक बयान
करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं वाहन संख्याका मालिक/प्राधिकृत कार्यकर्ता हूँ।
2. यह कि वाहन परमिट से आवृत्त है अथवा वाहन परमिट से आवृत्त नहीं है। (जो लागू हो स्पष्ट लिखें)।
3. यह कि मेरे वाहन का परिचालन बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत किया जाता है।
4. यह कि मेरे बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत निम्न वाहनों का परिचालन किया जाता है।

क्र0स0	वाहन संख्या	परमिट संख्या
1		

5. यह कि इसके अतिरिक्त कोई भी वाहन मेरे बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत परिचालन नहीं किया जाता है। यदि किसी अन्य वाहन को भविष्य में परिचालन हेतु बैनर (बैनर का नाम)..... के अन्तर्गत शामिल किया जाता है तो इसकी सूचना प्राधिकार को अविलम्ब दूँगा।
6. यह कि मैं वाहन के दोनों तरफ परमिट की संख्या एवं वैधता की तिथि अंकित करना सुनिश्चित करूँगा।
7. यह कि वाहन सीटर है अथवा स्लीपर है अथवा दोनों है। (जो लागू हो उसे लिखें)।
8. यह कि वाहन की परमिट प्राप्त करने के पश्चात् उसकी आन्तरिक संरचना में मेरे द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
9. यह कि परमिट हेतु आवेदन करते समय आवेदित वाहन के अन्दर, बाहर के चारों तरफ (आगे, पिछे, दोनों साईड) का वाहन स्वामी के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ जिससे वाहन की निबंधन संख्या, वाहन सीटर/स्लीपर हैं, का प्रता चल सके, मोटरयान निरीक्षक से सत्यापन के साथ वाहन की अद्यतन मान्य कागजात यथा- टैक्स, फिटनेश, बीमा एवं प्रदुषण संलग्न है।
10. यह कि परमिट हेतु आवेदित वाहन के प्रकाशित समय-सारणी में वाहन की आयु के अनुसार गति सीमा एवं दूरी का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। गति सीमा की उल्लंघन होने पर परमिट रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध विधि सम्मत् कार्रवाई की जा सकेगी जो मुझे मान्य होगा।
11. यह कि अधिकृत एजेन्ट से वाहन का टिकट बुकिंग सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाएगा।
12. यह कि किसी अनाधिकृत एजेन्ट अथवा व्यक्ति का उपयोग टिकट बुकिंग कराने में नहीं किया जाएगा।
13. यह कि मान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त चालक एवं संवाहक का उपयोग वाहन परिचालन में किया जाएगा।
14. यह कि मेरे या मेरे परिवार में किसी सदस्य के नाम से निबंधित कोई भी वाहन कर-प्रमादी (tax defaulter) नहीं है।
15. यह कि उक्त वाहन से किसी भी प्रकार के व्यवसायिक माल की दुलाई नहीं की जाएगी एवं परमिट की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

16. यह कि परमिट निर्गमन हेतु निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने अथवा शपथ पत्र में मेरे द्वारा घोषित बातों के असत्य पाये जाने पर मेरे परमिट को रद्द किया जा सकेगा एवं मेरे विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जो मुझे मान्य होगा।
17. यह कि मार्ग की दूरी 250 कि०मी० से अधिक होने पर दो चालक का उपयोग करूँगा।
18. यह कि मेरे द्वारा परमिट की स्वीकृति हेतु समर्पित वाहन संख्या—..... पर पूर्व से राज्य परिवहन प्राधिकार/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, द्वारा अन्तर्राज्यीय/अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग संख्या पर परमिट संख्या—..... निर्गत है, जिसकी मान्य अवधि दिनांक—..... से..... तक है।
19. यह कि मेरे द्वारा इस बात की सहमति प्रदान की जाती है कि परमिट की स्वीकृति हेतु राज्य परिवहन/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,..... के समक्ष दिनांक..... को समर्पित आवेदन में अंकित वाहन के पक्ष में परमिट की स्वीकृति के उपरान्त मेरे उक्त वाहन के पक्ष में निर्गत पूर्व परमिट स्वतः प्रत्यर्पित मानते हुये मेरे इस शपथ पत्र को ही बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम-86 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत परमिट निर्गत करने वाले मूल प्राधिकार के समक्ष समर्पित परमिट प्रत्यर्पण संबंधी आवेदन माना जाय।
20. यह कि वाहन से संबंधित सभी समर्पित कागजात सही एवं तथ्यात्मक है।
21. यह कि परमिट प्राप्त करने के पूर्व, पूर्व में निर्गत परमिट की मूल प्रति मैं कार्यालय में प्रत्यार्पित कर दूँगा।
22. यह कि शपथ पत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य एवं तथ्य पर आधारित हैं एवं उपर लिखी हुयी सभी तथ्यों पर मेरी पूर्ण सहमति है एवं परमिट संबंधी आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी की पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी।

आवेदक/प्राधिकृत कार्यकर्ता (शपथकर्ता) का हस्ताक्षर
कार्यकर्ता का मोबाईल नम्बर :-
वाहन स्वामी का मोबाईल नम्बर :-

शपथकर्ता मैं मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया है।

अधिवक्ता

समक्ष,

शपथ पत्र

मैं श्री/श्रीमती पिता श्री.....
..... पता/ग्राम+पो0थाना.....

जिला.....का निवासी हूँ, शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि:-

1. यह कि मैं वाहन संख्याका मालिक/प्राधिकृत प्रतिनिधि हूँ।
2. यह कि वाहन संख्या के स्थायी परमिट (स्टेज कैरेज) हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर को ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया हूँ जिसका Acknowledgement No. है, जिसमें निम्नवत् त्रुटियाँ रह गई थी:-

(i)

(ii)

(iii)

3. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक की बैठक में उक्त त्रुटियों/अधुरे आवेदन के कारण आवेदन अस्वीकृत करने का निर्णय लिया जा रहा था, लेकिन मेरे अनुरोध पर सशर्त शपथ-पत्र एवं जुर्माना देने का अनुरोध किया। उपर्युक्त त्रुटियों में सुधार हेतु स्वेच्छा से क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा लगाया गया जुर्माना राशि रुपये देने हेतु तैयार हूँ। क्योंकि मुझे पुनः आवेदन देने में समय लगेगा, फीस भी लगेगी एवं मेरा इच्छित टाइम-स्लॉट भी नहीं बचेगा। /
4. यह कि उक्त जुर्माना मेरे अनुरोध पर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अधिरोपित किया गया है। अतएव उक्त निर्णय के विरुद्ध मैं किसी भी न्यायालय या अधिकरण में अपील दायर नहीं करूँगा/करूँगी।
5. यह कि शपथ पत्र में उल्लेखित सभी बातें सत्य एवं तथ्य पर आधारित हैं एवं उपर लिखी हुयी सभी तथ्यों पर मेरी पूर्ण सहमति है एवं किसी प्रकार की गड़बड़ी की पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी।

6. भविष्य में मैं पूर्ण आवेदन सभी साक्ष्यों सहित ही समर्पित करूँगा/करूँगी। अतः मेरे द्वारा जुर्माना राशि इस शपथ-पत्र के साथ समर्पित कर रहा/रही हूँ।

आवेदक/प्राधिकृत प्रतिनिधि (शपथकर्ता) का हस्ताक्षर

कार्यकर्ता का मोबाईल नम्बर :-

वाहन स्वामी का मोबाईल नम्बर :-

शपथकर्ता ने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर बनाया है।

अधिवक्ता